

परिशिष्ट-1.1 (भाग-अ)
 (संदर्भ: कंडिका-छत्तीसगढ़ का पाश्व दृश्य(पृष्ठ-1)
छत्तीसगढ़ राज्य की रूपरेखा

अ-सामान्य आंकडे

संक्र.	विवरण		आंकड़े
1	क्षेत्र		1,35,192 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या		
क	2001 की जनगणना के अनुसार		2.08 करोड़
	ख 2011 की जनगणना के अनुसार		2.55 करोड़
3	क जनसंख्या का घनत्व (2001 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत घनत्व =325 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.)		154 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.
	ख जनसंख्या का घनत्व ¹ (2011 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत घनत्व =382 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.)		189 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.
4	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या ² (बी.पी.एल.) (राष्ट्रीय औसत=21.90 प्रतिशत)		39.9 प्रतिशत
5	अ साक्षरता (2001 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत =64.80 प्रतिशत)		64.66 प्रतिशत
	ब साक्षरता ³ (2011 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत =73.00 प्रतिशत)		70.30 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु दर ⁴ (जैसा की वर्ष 2017 में)(प्रति 1000 जीवित बच्चों पर) (राष्ट्रीय औसत =33 प्रति 1000 जीवित बच्चे)		48 प्रति 1000 जीवित बच्चे
7	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (वर्ष 2012–16 संपूर्ण भारत का औसत = 68.70)		64.80
8	मानव विकास सूची ⁵ 2017(संपूर्ण भारत = 0.643)		0.600
9	गिनी कोएफीशियन्ट		
अ	ग्रामीण (राष्ट्रीय=0.29)		0.28
	शहरी (राष्ट्रीय=0.38)		0.33
10.	वर्तमान मूल्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद ⁶ (जी.एस.डी.पी) 2018–19 वर्तमान मूल्यों पर		3,11,660 करोड़ में
11	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2011–12 से 2018–19) सी.ए.जी.आर	सामान्य राज्य श्रेणी	10.99
		छत्तीसगढ़	8.43
12	सकल राज्य घरेलू उत्पाद सी.ए.जी.आर (2011–12 से 2018–19)	सामान्य राज्य श्रेणी	12.23
		छत्तीसगढ़	10.18
13	जनसंख्या वृद्धि ⁷ (2009 से 2019)	सामान्य राज्य श्रेणी	12.46
		छत्तीसगढ़	13.28

ब. वित्तीय आंकडे

सी.ए.जी.आर	विवरण			
	2009–10 से 2017–18		2017.18 जव 2018.19	
	सामान्य श्रेणी राज्य	छत्तीसगढ़	सामान्य श्रेणी राज्य	छत्तीसगढ़
	(प्रतिशत में)			
क.	राजस्व प्राप्तियों का	15.03	16.03	12.77
ख.	स्वयं का राजस्व का	14.84	17.09	12.72
ग.	कर भिन्न राजस्व का	9.88	9.61	19.78
घ.	कुल व्यय का	14.20	15.58	12.73
ड.	पूँजीगत व्यय का	13.53	13.96	11.93
च	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	13.44	17.90	9.38
छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	16.50	22.88	11.09
ज	मजदूरी एवं वेतन का	11.72	11.18	11.03
झ	पेशन का	16.12	15.56	14.31

(स्रोत : वित्तीय आंकडे संबंधित वर्षों के वित्त लेखे पर आधारित हैं)

¹ जनसंख्या का घनत्व: जैसा कि एम.ओ.एस.पी.आई कीर वेब साइट से डाउनलोड किया गया है – तालिका 2.3 संख्यिकीय वर्ष बुक 2018 |

² गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या : आर्थिक सर्वेक्षण 2018–19 (खंड – II), पृष्ठ संख्या ए–168–169, तालिका – 9.8 |

³ साक्षरता दर : आर्थिक सर्वेक्षण 2018–19 (खंड – II), पृष्ठ संख्या ए–164, तालिका – 9.4 |

⁴ जन्म के समय शिशु मृत्यु दर और जिन प्रत्याशा : आर्थिक सर्वेक्षण 2018–19 (खंड – II), पृष्ठ संख्या ए–160, तालिका – 9.1 |

⁵ एच.डी.आई: यु.एन.डी.पी द्वारा वर्ष 2019 के आर्थिक सर्वेक्षण से |

⁶ सकल घरेलू उत्पाद का सी.ए.जी.आर तथा प्रतिव्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद का : अनुलग्नक ई (बी) के अनुसार |

⁷ छसकीय जनसंख्या वृद्धि : अनुबंध ई (ए) के अनुसार |

परिशिष्ट-1.1 (भाग-ब)
(संदर्भ : कॉडिका-1.1: पृष्ठ-1)
शासकीय लेखों की संरचना एवं प्रपत्र

सरकार के लेखे की संरचना: राज्य शासन के लेखे तीन भागों (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिकता निधि और (iii) लोक लेखे में रखा जाते हैं।

भाग (I) समेकित निधि:राज्य शासन द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, विनियम पत्र द्वारा प्राप्त समस्त ऋण, आंतरिक और बाह्य ऋण और ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए सरकार द्वारा प्राप्त समस्त धन एक समेकित निधि का निर्माण करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत यह निधि राज्य की समेकित निधि के नाम से स्थापित की गई है।

भाग (II) आकस्मिकता निधि:भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के अंतर्गत राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना की गई। यह अग्रिम के रूप में होती है, इसे अत्यावश्यक अनपेक्षित व्यय हेतु अग्रिम प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए राज्यपाल के अधीन रखा जाता है, इस व्यय को बाद में विधायिका द्वारा अधिकृत किया जाता है। बाद में विधान मंडल द्वारा ऐसे व्यय का अनुमोदन और समान राशि समेकित निधि से आहरण करने की अनुमति प्राप्त की जाती है। तब आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिमों की इस निधि (समेकित) द्वारा भरपाई की जाती है।

भाग (III) लोक लेखों:कृच लेन-देनों जैसे लघु बचतें, भविष्य निधियाँ, आरक्षित निधियाँ, निष्क्रिय, उचंत, प्रेषण आदि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरण जो समेकित निधि के हिस्से नहीं हैं, इस प्रकार प्राप्त लोक धन संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा के अंतर्गत रखा जाता है एवं जो विधान मंडल के द्वारा मत के अधीन नहीं है।

भाग-स: वित्त लेखों की रूपरेखा
वित्त लेखों को दो भागों में विभाजित किया गया है।

खण्ड-1 – सारांशीय विवरणी

विवरण क्र. 1	वित्तीय स्थिति का विवरण—वर्ष के अंत में शासन के परिस्पत्तियों एवं दायित्वों की संचयित आंकड़े।
विवरण क्र. 2	प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण—वर्ष के दौरान शासन द्वारा सरकारी लेखे में तीन भागों में रखे गये प्राप्तियाँ एवं संवितरण।
विवरण क्र. 3	प्राप्तियों का विवरण— शासन की राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं शासन द्वारा उधार से प्राप्तियों का विवरण।
विवरण क्र. 4	समेकित निधि में व्यय का विवरण— कार्यकलाप एवं क्रियाकलाप अनुसार व्यय का विवरण।
विवरण क्र. 5	प्रगमी पूँजीगत परिव्यय का विवरण—पूँजीगत व्यय का प्रगमी जोड़ मार्च 2019 अंत तक का सारांशी विवरण।
विवरण क्र. 6	उधारों तथा अन्य दायित्वों का विवरण—शासन के उधारों का सारांशी विवरण जिसमें आंतरिक ऋण भारत सरकार से प्राप्त कर्ज, अन्य दायित्व एवं ऋणों की सेवायें।
विवरण क्र. 7	शासन द्वारा दिये गये कर्ज तथा पेशागियों का विवरण— राज्य शासन द्वारा वर्ष के दौरान दिये गये ऋणों और अग्रिमों, किये गये पुनर्भुगतान और वसूलियों का बकाया इत्यादि।
विवरण क्र. 8	वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के लिए विभिन्न संबंधित पूँजीगत शेयर एवं ऋण पत्र में शासकीय निवेश का तुलनात्मक सारांश।
विवरण क्र. 9	शासन द्वारा दिए गए प्रत्याभूतियों का विवरण—सांविधिक निगमों, स्थानीय निगमों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋणों आदि के पुनर्भुतान हेतु सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूति।
विवरण क्र. 10	राज्य शासन द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण।
विवरण क्र. 11	प्रभारित एवं दत्तमत व्यय का विवरण—वर्ष के दौरान किये गए व्यय के भारित एवं दत्तमत मध्य विवरण।
विवरण क्र. 12	वर्ष 2018–19 के अंत तक व्यय (राजस्व लेखे के अतिरिक्त) के लिये अन्य निधियों के स्रोतों एवं उपयोग का विस्तृत विवरण।
विवरण क्र. 13	संमेकित निधि, आकस्मिता निधि एवं लोक लेखे के अंतर्गत शेषों का सारांश, ऋण, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे से संबंधित लेखे के शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियाँ संवितरण एवं शेषों का विस्तृत लेखा।

खण्ड-2 –विस्तृत विवरण (भाग – I)

विवरण क्र. 14	राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण
विवरण क्र. 15	राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण
विवरण क्र. 16	मुख्य शीर्षवार तथा लघुशीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण: वर्ष 2018–19 के अंत तक खर्च किए गये विस्तृत पूँजीगत व्यय एवं पिछले वर्ष की आंकड़ों से तुलना को दर्शाता है।
विवरण क्र. 17	उधारों तथा अन्य दायित्वों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण
विवरण क्र. 18	सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम का विस्तृत विवरण: छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम, वर्ष के दौरान ऋण का पुनर्भुगतान, 31 मार्च 2019 तक का विस्तृत लेखा।
विवरण क्र. 19	शासन के निवेशों का विस्तृत विवरण: 31 मार्च 2019 के अंत तक सांविधिक निगमों, शासकीय कम्पनियों, अन्य

	संयुक्त पूँजी कम्पनियों, सहकारी बैंकों और समितियों इत्यादि में राज्य शासन के निवेश का विवरण
विवरण क्र. 20	शासन द्वारा दिये गये प्रत्याभूतियों का विवरण—संस्थावार
विवरण क्र. 21	आकस्मिक निधि तथा अन्य लोक लेखे संव्यवहारों का विस्तृत विवरण।
विवरण क्र. 22	चिह्नित निधियों के निवेश का विस्तृत विवरण।

भाग – II–परिशिष्ट

I	मुख्यषीर्ष वार वेतन पर व्यय का तुलनात्मक विवरण
II	आर्थिक सहायता पर व्यय का तुलनात्मक विवरण
III	सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता (संस्थावार तथा योजनावार)
IV	बाह्य सहायित परियोजनाएं की जानकारी
V	योजनाओं में व्यय
(क)	केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं केन्द्रीय योजना)
(ख)	राज्य योजनागत योजनाएं
VI	भारत सरकार द्वारा राज्य में क्रियान्वयन अभिकरणों को निधियों का प्रत्यक्ष स्थानान्तरण (राज्य बजट के अलावा दी गई निधियों) (अलेखापरीक्षित आंकड़े)
VII	विवरण क्रमांक 18 एवं 21 में दर्शाए गए अन्तर्शेषों का मिलान एवं स्वीकरण
VIII	(i) सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम (ii) विद्युत योजनाओं के वित्तीय परिणाम
IX	राज्य धासन की प्रतिबद्धता—अपूर्ण निर्माण कार्यों की सूची
X	अनुरक्षण व्यय का वेतन एवं गैर वेतन भाग का विवरण
XI	वर्ष के दौरान मुख्य नीतिगत निर्णयों अथवा बजट में प्रस्तावित नवीन योजनाओं
XII	धासन के प्रतिबद्धत दायित्वों का विवरण
XIII	राज्यों के पुनर्गठन—राज्यों के मध्य शेषों के प्रभाजन नहीं किये गए मदों का विवरण

परिशिष्ट – 1.2

(संदर्भ: कंडिका—1.1.1: पृष्ठ—1)

राजकोषीय स्थिति के आंकलन हेतु अपनाई गई कार्यविधि

यह मानकर कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था के कार्य निष्पादन का अच्छा सूचक है, वृहत् राजकोषीय कुल योग जैसे कर एवं कर भिन्न राजस्व, राजस्व एवं पूँजीगत व्यय, आंतरिक ऋण तथा राजस्व एवं राजकोषीय घाटे को प्रचलित बाजार मूल्य से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार वर्ष 2014–15 से वर्ष 2018–19 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के पुनरीक्षित अनुमान का आंकलन आधार वर्ष 2004–05 से वर्ष 2011–12 में परिवर्तित कर तैयार किये गए हैं। इस पद्धति में बाजार भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का आंकलन उत्पादन एवं उत्पादक कर जोड़कर सब्सिडी को घटाते हुए किया गया है। इसलिए, अवधि 2014–15 से 2018–19 के के दौरान पिछले प्रतिवेदनों में स.रा.घ.उ. के सापेक्ष विभिन्न परिमाप के आकड़े भी पुनरिक्षीत हुए हैं।

विगत पाँच वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रवृत्तियाँ निम्नानुसार सूचित किया जाता है

सकल राज्य घरेलू उत्पाद का झुकाव (जी.एस.डी.पी.)

वर्ष	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
प्रचलित भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	2,21,118	2,27,383	2,54,722	2,84,194	3,11,660
प्रचलित भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	6.91	2.83	12.02	11.57	9.66
स्थिर भाव पर राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	1,85,813	1,91,020	2,07,326	2,18,539	2,31,820
स्थिर भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	1.77	2.80	8.54	5.41	6.08

(आगे: सांख्यिकी की एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट)

वित्तीय जोड़ो की धारा एवं रूपरेखा के कुछ चुनिंदा मदो की परिभाषा निम्नानुसार है:

म्द	गणना का आधार
वृद्धि की दर (आरओजी)	[(चालू वर्ष की राशि/पिछले वर्ष की राशि)–1]* 100
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएँ+आर्थिक सेवाएँ
राज्य द्वारा औसत व्याज भुगतान	व्याज भुगतान/[पूर्व वर्ष की राजकोषीय देयताओं की राशि+चालू वर्ष की राजकोषीय देयताओं] / 2]*100
दिये गये बकाया ऋणों पर प्राप्त व्याज का प्रतिशत	व्याज प्राप्ति/[प्रारंभिक शेष+ऋण एवं अग्रिमों का अंतिम शेष] / 2]*100
राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (-)	राजस्व प्राप्ति—राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय+पूँजीगत व्यय+निवल ऋण एवं अग्रिम—राजस्व प्राप्तियाँ—विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्रारंभिक घाटा	राजकोषीय घाटा—व्याज भुगतान

परिशिष्ट – 1.3 (भाग – अ)
(संदर्भ: कंडिका–1.1.1: पृष्ठ–1)
वर्ष 2018–19 के प्राप्ति एवं भुगतान का सार

₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			भुगतान					
2017–18		2018–19			2017–18		2018–19	
भाग—क—राजस्व								
59,647.07		राजस्व प्राप्तियाँ	65,094.93		56,229.75		राजस्व व्यय	64,411.17
19,894.68		कर राजस्व		21,427.26		12,870.41	सामान्य सेवायें	15,280.28
6,340.42		कर—पिन्न राजस्व		7,703.02		24,371.59	समाजिक सेवायें	23,454.94
20,754.81		संघीय करों में राज्य हिस्सा		23,458.69		11,844.56	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	12,511.95
9,275.76		केंद्र प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान		8,214.77		3,606.70	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3,542.89
1,460.23		वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान		1,679.48		5,898.63	जल प्रदाय स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	4,460.30
1,921.17		राज्यों को अन्य हस्तांतरण अनुदान		2,611.71		145.30	सुचना एवं प्रसार	240.67
						176.15	अनूसूचित जातियों/अनूसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	142.62
						255.00	श्रम एवं श्रमिक कल्याण	227.13
						2,421.73	समाजिक कल्याण एवं पोषण	2,311.11
						23.52	अन्य	18.27
					17,623..09		आर्थिक सेवायें	24,780.79
						8,781.05	कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप	18,020.02
						3,695.49	ग्रामीण विकास	2,433.17
						0.00	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00
						62.18	संचार	50.15
						534.44	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	567.27
						2,635.18	ऊर्जा	2105.02
						856.25	उद्योग एवं खनिज	527.93
						943.24	परिवहन	1015.69
						8.33	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	5.73
						106.93	सामान्य आर्थिक सेवायें	55.81
					1,364.86		सहायता अनुदान एवं अंशदान	895.16
59,647.07		कुल राजस्व प्राप्तियाँ	65,094.93		56,229.75		कुल राजस्व व्यय	64,411.17
II		अनुभाग ब में अग्रेषित राजस्व घाटा			3,417.32		अनुभाग —ख— में अग्रेषित राजस्व आधिक्य	683.76
59,647.07		योग	65,094.93		59,647.07		योग	65,094.93

31 मार्च 2019 को समाप्त हुये वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरिक्षा प्रतिवेदन

भाग—ख—अन्य

प्राप्तियाँ			भुगतान			
2017–18	2018–19		2017–18	2018–19		
4,658.85	स्थायी अग्रिमों सहित प्रारंभिक रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष निवेश	6,804.91	0.00	भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारंभिक अधिविकर्षण	0.00	
3.32	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	5.26	10,000.96	पूँजीगत व्यय	8,903.45	
			303.33	सामान्य सेवाएँ	255.52	
			2,651.78	सामाजिक सेवाएँ	1,773.79	
			667.69	शिक्षा, खेलकूद कला एवं संस्कृति	490.37	
			401.19	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	214.49	
			1,094.77	जल प्रदाय स्वच्छता आवास एवं शहरी विकास	690.68	
			0.00	सूचना एवं प्रसारण	0.00	
			387.91	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति पिछड़ा वर्ग कल्याण	339.50	
			60.67	सामाजिक कल्याण एवं पोषण	9.92	
			39.55	अन्य सामाजिक सेवाएँ	28.83	
			7,045.85	आर्थिक सेवाएँ	6,874.14	
			84.26	कृषि एवं संबंधित सेवाएँ	86.90	
			655.53	ग्रामीण विकास	588.68	
			1,678.71	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,588.45	
			824.81	ऊर्जा	594.99	
			64.76	उद्योग एवं खनिज	20.45	
			3,732.00	परिवहन	3,770.77	
			1.78	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	208.00	
			0.00	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	2.13	
			4.00	कृषि एवं संबंधित सेवाएँ	13.77	
			10,000.96	योग पूँजीगत व्यय	8,903.45	
1.24	अंतर्राज्यीय समाशोधन	0.57	1.07	अंतर्राज्यीय समाशोधन	0.25	
138.59	ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	162.32	368.76	ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	240.44	
0.00	विद्युत परियोजनाओं से	0.00	0.00	विद्युत परियोजनाओं हेतु	0.00	
(-) 0.71	सरकारी सेवकों से	0.28	0.00	सरकारी सेवकों को	0.00	
139.30	अन्य से	162.04	368.76	अन्य को	240.44	
3,417.32	लाया गया राजस्व अधिक्य	683.76	0.00	लाया गया राजस्व घाटा	0.00	
9,652.44	लोक ऋण प्राप्तियाँ	14,370.10	999.88	लोक ऋणों का पुनर्भगतान	1,145.89	
0.00	बाह्य ऋण	0.00	0.00	बाह्य ऋण	0.00	
9,187.89	अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षण के अलावा आंतरिक ऋण	13,816.66	827.74	अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षण के अलावा आंतरिक ऋण	953.27	

प्राप्तियाँ			भुगतान					
2017–18			2018–19		2017–18			2018–19
	0.00	अर्थोपाय अग्रिमों के अधीन निवल लेनदेन		0.00	0.00	0.00	अर्थोपाय अग्रिमों के अधीन निवल लेनदेन	0.00
	464.55	अधिविकर्षण के अधीन निवल लेनदेन		553.44	169.96	172.14	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिमों का पुनर्गुणतान	192.62
	0.00	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम		0.00	2.29	0.00	आकस्मिकता निधि से विनियोग	0.00
	0.00	आकस्मिकता निधि से विनियोग		0.00		0.00	आकस्मिकता निधि से व्यय	4.92
72,057.56		आकस्मिकता निधि को स्थानांतरित	76,902.76		71,753.74		लोक लेखा संवितरण	76,356.85
	1,435.87	लघु बचतें एवं भविष्य निधियाँ		1,649.09		795.26	लघु बचतें एवं भविष्य निधियाँ	894.58
	1,224.59	आरक्षित निधियाँ		814.87		1,702.52	आरक्षित निधियाँ	650.08
	55,354.33	उचंत एवं विविध		60,462.40		55,405.07	उचंत एवं विविध	6,0481.97
	10,003.60	प्रेषण		9,858.07		9,932.68	प्रेषण	9,980.50
	4,039.17	निक्षेप एवं अग्रिम		4,118.33		3,918.21	निक्षेप एवं अग्रिम	4,349.72
0.00		भारतीय रिजर्व बैंक से अंत में अधिविकर्षण	0.00		6,804.91		वर्ष के अंत में रोकड़ शेष	12,277.88
					0.00		कोषालय में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	0.00
					637.60		रिजर्व बैंक के पास निक्षेप	320.72
					10.62		स्थायी अग्रिम सहित विभागीय रोकड़ शेष	12.83
					6,156.69		रोकड़ शेष निवेश	11,944.33
89,929.32		योग	98,929.68		89,929.32		योग ब	98,929.68

परिशिष्ट – 1.3 (भाग – ब)

(संदर्भ: कंडिका-1.1.1, 1.9.1 और 1.9.2 : पृष्ठ-1 एवं 25)

छत्तीसगढ़ शासन की सारांशीकृत वित्तिय स्थिति

₹ करोड़ में

31.03.2018 की स्थिति	दायित्व	31.03.2019 की स्थिति
36,690.44	आंतरिक ऋण	49,553.83
26,550.00	ब्याज सहित बजार ऋण	39,450.00
2.11	ब्याज रहित बजार ऋण	2.10
20.29	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	20.29
10,118.04	अन्य संस्थाओं से ऋण	10,081.44
0.00	अर्थोपाय अग्रिम	0.00
0.00	भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्षण	0.00
2,339.57	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2,700.39
0.69	1984-85 से पूर्व के ऋण	0.69
1.09	आयोजनेतर ऋण	0.56
1,873.53	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	1,681.69
0.19	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	0.19
-0.23	केन्द्र प्रवर्तित योजाओं के लिए ऋण	0.00
464.30	विधायिका योजनाओं वाले राज्य के लिए अन्य ऋण	1,017.26
100.00	आकस्मिकता निधि	100.00
6,075.40	लघु बचत, भविष्य निधियाँ आदि	6,832.41
6,238.73	निक्षेप	6,007.34
3,648.78	आरक्षित निधियाँ	3,840.85
114.07	उचंत एवं विविध शेष	96.78
55,207.00	योग	69,131.60
73,729.48	अचल परिसम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत व्यय	84,332.15
6,866.37	कम्पनियां निगमों इत्यादि में निवेश	7,125.84
66,863.11	अन्य पूँजीगत व्यय	77,206.31
1,172.15	ऋण एवं अग्रिम	1,597.75
108.71	विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	
882.16	अन्य विकास ऋण	
181.28	सरकारी सेवकों को ऋण एवं विविध ऋण	
2,085.84	आरक्षित निधि में निवेश	2,185.31
1.74	टग्रिम	1.74
236.66	प्रेषण शेष	359.09
0.00	आकस्मिकता निधि	4.92
4,719.07	नगदी	10,092.57
0.00	कोषालय में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	0.00
637.60	रिजर्व बैंक में निक्षेप	320.72
10.28	विभागीय नगदी शेष अचल	12.49
0.34	स्थायी अग्रिम	0.34
4,070.85	नगदी शेष निवेश	9,759.02
26,737.94	सरकारी लेखे में घाटा	- 29,441.93
-3,417.32	(1) घटाइये चालू वर्ष के राजस्व आधिकर्य	-683.76
819.95	(2) प्रारूप सुधार एवं अन्य समायोजन	-2,020.23
-24140.57	वर्ष के प्रारंभ में संचयित घाटा	-26,737.94
55,207.00	योग	69,131.60

परिशिष्ट – 1.4
 (संदर्भ: कंडिका–1.1.3 : पृष्ठ–6)
वर्ष 2018–19 के लिये बजट प्रावधान

₹ करोड़ में

विवरण	बजट प्रावधान 2017–18	वास्तविक	बढ़ना/घटना (-)	बढ़ना/घटना का प्रतिशत (-)
राजस्व प्राप्ति	72,867.97	65,094.93	-7,773.04	-10.67
स्वयं कर राजस्व	26,030.00	21,427.26	4,602.74	-17.68
व्यापार, विक्रय आदि पर कर	37,18.42	4,087.72	369.30	9.93
राज्य उत्पाद शुल्क	4,355.00	4,489.03	134.03	3.08
वाहन पर कर	1500.00	1,204.85	-295.15	-19.68
टिकट एवं पंजीयन शुल्क	1,790.00	1,108.46	-681.54	-38.07
यात्री एवं वस्तु पर कर	5.62	54.51	48.89	869.93
भू—राजस्व	660.00	487.57	-172.43	-26.13
विद्युत पर शुल्क एवं कर	1,850.00	1,790.27	-59.73	-3.23
अन्य कर	12,150.96	8,204.85	-3,946.11	-32.48
गैर कर राजस्व	8,170.00	7,703.02	-466.98	-5.72
केन्द्रीय कर एवं शुल्क का अंश	22,954.97	23,458.69	503.72	2.19
भारत सरकार से सहायक अनुदान	15,713.00	12,505.96	-3,207.04	-20.41
पूंजीगत प्राप्तियां	10,228.16	14,537.68	4,309.52	42.13
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	314.02	162.32	-151.70	-48.31
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	0.00	5.26	5.26	0.00
शुद्ध लोक ऋण	9,314.14	14,370.10	5,055.96	54.28
शुद्ध लोक लेखे प्राप्तियां	600	547.65	-52.35	-8.73
राजस्व व्यय	68,422.62	64,411.17	-4,011.45	-5.86
सामान्य सेवायें	16,620.52	15,280.28	-1,340.24	-8.06
राज्य के अंग	655.74	568.05	-87.69	-13.37
वित्तीय सेवायें	1,247.34	705.37	-541.97	-43.45
ब्याज भुगतान एवं ऋण शोधन	4,067.55	3,752.55	-315.00	-7.74
प्रशासकीय सेवायें	5,290.02	4,825.21	-464.81	-8.79
पेशन एवं विविध सामान्य सेवायें	5,359.89	5,428.50	68.61	1.28
समाजिक सेवायें	28,108.09	23,454.94	-4,653.15	-16.55
शिक्षा, खेल कला एवं संस्कृति	14,385.31	12,511.95	-1,873.36	-13.02
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4,275.57	3,542.89	-732.68	-17.14
जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	5,334.70	4,460.30	-874.40	-16.39
सूखना एवं प्रसारण	239.88	240.67	0.79	0.33
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग	290.62	142.67	-147.95	-50.91
श्रम एवं श्रम कल्याण	376.18	227.13	-149.05	-39.62

31 मार्च 2019 को समाप्त हुये वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरिक्षा प्रतिवेदन

विवरण	बजट प्रावधान 2017–18	वास्तविक	बढ़ना/धटना (–)	बढ़ना/धटना का प्रतिशत (–)
सामाजिक कल्याण और पोषण	3,174.82	2,311.11	−863.71	−27.21
अन्य	31.01	18.27	−12.74	−41.08
आर्थिक सेवायें	22,543.69	24,780.79	2,237.10	9.92
कृषि एवं समवर्गी सेवायें	11,407.86	18,020.02	6,612.16	57.96
ग्रामीण विकास	3,825.48	2,433.17	−1,392.31	−36.40
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	487.47	567.27	79.80	16.37
उर्जा	3,593.01	2,105.02	−1,487.99	−41.41
उद्योग एवं खनिज	975.40	527.93	−447.47	−45.88
यातायात	2,001.77	1,015.39	−986.38	−49.28
संचार	138.66	50.15	−88.51	−63.83
विज्ञान, तकनीक एवं पर्यावरण	18.21	5.73	−12.48	−68.53
सामान्य आर्थिक सेवायें	95.83	55.81	−40.02	−41.76
सहायता अनुदान एवं अंशदान	1,150.31	895.16	−255.15	−22.18
पूँजीगत व्यय जिसमें	14,453.93	8,903.45	−5,550.48	−38.40
सामान्य सेवायें	534.03	255.52	−278.51	−52.15
सामाजिक सेवायें	3,911.06	1,773.79	−2,137.27	−54.65
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	967.21	490.37	−476.84	−49.30
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	582.64	214.49	−368.15	−63.19
जलापूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	1,782.52	690.68	−1,091.84	−61.25
सूचना तथा प्रसार	0.05	0.00	−0.05	−100.00
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	474.83	339.50	−135.33	−28.50
सामाजिक कल्याण तथा पोषण	52.86	9.92	−42.94	−81.23
अन्य सामाजिक सेवाएं	50.95	28.28	−22.67	−44.49
आर्थिक सेवाएं	10,008.84	6,874.14	−3,134.70	−31.32
कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	171.52	86.90	−84.62	−49.34
ग्रामीण विकास	639.32	588.68	−50.64	−7.92
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	2,689.90	1,588.45	−1,101.45	−40.95
ऊर्जा	651.79	464.99	−186.80	−28.66
उद्योग एवं खनिज	71.85	20.45	−51.40	−71.54
परिवहन	5,208.75	3,770.77	−1,437.98	−27.61
ब्यउनदपबंजपवद	540.00	208	−332.00	−61.48
विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	4.00	2.13	−1.87	−46.75
सामान्य आर्थिक सेवाएं	31.70	13.77	−17.93	−56.56
राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (-)	4,445.35	683.76	−3,761.59	−84.62
राजकोषीय घाटा (-)	9,997.27	8,292.23	−1,705.04	−17.06
प्राथमिक आधिक्य (+)/घाटा (-)	6,249.82	4,639.63	−1,610.19	−25.76

परिशिष्ट – 1.5
 (संदर्भ: कंडिका-1.1.4: पृष्ठ-7)
वर्ष 2018–19 के दौरान महिलाओं के लिये बजट प्रावधान एवं व्यय

₹ करोड़ में

क्र.	योजना का नाम	मूल बजट	सहायक बजट	पुर्णविनियोजन	कुल बजट	सकल व्यय	बचत / आधिक्य
1	ग्रामीण महिलाओं को भ्रमण एवं प्रदर्शनी निर्देश	1.50	0.00	-0.22	1.50	1.28	0.00
2	नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोकस्वास्थ्य का एकीकरण	41.28	0.35	-23.92	41.63	17.70	-0.01
3	महिला खेलकूद प्रतियोगिता	1.50	0.00	-0.61	1.50	0.89	0.00
4	स्पिनिंग मिल हेतु अनुदान	0.06	0.00	-0.02	0.06	0.04	0.00
5	कन्याओं को शिक्षण प्रोत्साहन योजना	8.48	0.00	-5.33	8.48	3.15	0.00
6	स्वास्थ्य मितानिन योजना हेतु अनुदान	1.29	0.00	-1.29	1.29	0.00	0.00
7	हाईस्कूल छात्राओं को निशुल्क सायकल प्रदाय	65.00	0.00	-42.20	65.00	22.80	0.00
8	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	13.00	0.00	-7.99	13.00	5.01	0.00
9	समारोह हेतु अनुदान	15.20	19.00	-11.60	34.20	22.60	0.00
10	किशोरी शक्ति योजना	1.45	0.00	-1.45	1.45	0.00	0.00
11	मितानिन कल्याण निधि	101.57	66.81	-58.95	168.38	109.43	0.00
12	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	60.48	0.00	-3.21	60.48	56.96	-0.31
13	सबला योजना	35.34	0.00	-24.19	35.34	11.15	-0.01
14	असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण	29.25	13.93	-17.73	43.18	25.45	0.00
15	राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन	300.00	0.00	-153.22	300.00	146.78	0.00
16	कन्या शिक्षा परिसर	12.13	2.97	-2.88	15.10	13.62	1.40
17	महतारी जतन योजना	25.00	0.00	-2.92	25.00	22.12	0.04
18	प्रधानमंत्री उज्जवला योजना	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
19	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	2,354.19	1,269.17	-1,277.62	3,623.36	2,345.67	-0.06
20	सुचित्रा योजना	10.00	0.00	-10.00	10.00	0.00	0.00
21	दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थी के लिए शालाएं तथा संस्थाएं	23.15	0.00	-9.11	23.15	14.06	0.02
22	असंगठित सफाई कर्मगार कल्याण मंडल	10.00	0.59	-7.22	10.59	3.37	0.00
23	ठेका मजदूर घरेलू कामकाजी महिला एवं हमाल कल्याण मंडल	10.00	6.33	-10.19	16.33	6.14	0.00
24	न्यूनतम आवश्यकताओं कार्यक्रम विशेष पोषाण अभियान	735.44	0.00	-327.15	735.44	408.20	-0.09
25	एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण	12.00	0.00	-11.60	12.00	0.40	0.00
योग		3,887.31	1,379.15	-2,010.62	5,266.46	3,256.82	0.98

परिशिष्ट – 1.6

(संदर्भ: कंडिका—1.3, 1.3.1 एवं 1.4: पृष्ठ— 9,10 एवं 15)
राज्य सरकार के वित्तीय समय श्रृंखला डाटा विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
भाग अ – प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	37988(85)	46068(86)	53685(90)	59647(86)	65095 (82)
(i) स्वयं कर राजस्व	15707(41)	17075 (37)	18945(35)	19895(33)	21427(33)
कृषि आय पर कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विक्रय पर कर, व्यापार आदि	8429(54)	8908(52)	9927(52)	6450(32)	4088(19)
राज्य आबकारी	2892(18)	3338(20)	3444(18)	4054(20)	4489(21)
वाहनों पर कर	703(04)	829(05)	985(5)	1180(6)	1205(06)
स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क	1023(07)	1185(07)	1211(6)	1197(6)	1108(05)
भू-राजस्व	332(02)	364(02)	504(3)	446(2)	488(02)
वस्तु एवं यात्री कर	982(06)	1040(06)	1340(7)	478(2)	54(0)
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	0	0	0	4387(22)	8203(38)
अन्य कर	1346(09)	1411(08)	1534(8)	1703(09)	1792(08)
(ii) गैर कर राजस्व	4930(13)	5215(11)	5669(11)	6340(11)	7703(12)
(iii) केन्द्रीय कर एवं शुल्क में राज्यांश	8363(22)	15716(34)	18809(35)	20755(35)	23459(36)
(iv) भारत सरकार द्वारा दिया गया सहायक प्राप्तियाँ	8988(24)	8062(18)	10262(19)	12657(21)	12506(19)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	03	03	02	03	05
3. ऋण एवं अग्रिम की वसूली	195	296	173	138	162
3(अ). अन्तर्राजीय समशोधन	01	01	00	01	01
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	38187	46367	53860	59789	65263
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	6440 (14)	7251(14)	5480(9)	9652(14)	14370(18)
आंतरिक ऋण	6431	7106	5098	9188	13817
शुद्ध लेनदेन
भारत सरकार से लिया गया ऋण एवं अग्रिम	9	145	382	465	553
6. संचित निधि की कुल प्राप्तियाँ	44627	53618	59340	69441	79634
7. आकस्मिकता निधि की प्राप्तियाँ (6+7+8)	0	0	60	0	0
8. लोक लेखे प्राप्तियाँ	51322	55059	62694	72058	76903
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ	95949	108677	122094	141499	156537
भाग ख : व्यय / भुगतान					
10. राजस्व व्यय	39561(85)	43701(84)	48165(83)	56230(84)	64411(88)
सामान्य सेवायें	9041(23)	10409(24)	11496(24)	12870(23)	15280(24)
समाजिक सेवायें	15389(39)	16339(37)	21342(44)	24372(43)	23455(37)
आर्थिक सेवायें	14152(36)	16053(37)	14176(29)	17623(31)	24781(39)
सहायक अनुदान एवं अशंदान	979(02)	900(02)	1151(02)	1365(02)	895(01)
11. पूँजीगत व्यय	6544(14)	7945(15)	9471(16)	10001(15)	8903(12)
सामान्य सेवायें	258(4)	362(05)	188(1.99)	303(3)	255(03)
समाजिक सेवायें	1560(24)	1807(23)	2461(26)	2652(27)	1774(20)
आर्थिक सेवायें	4727(72)	5776(73)	6822(72)	7046(70)	6874(77)

	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
12.ऋण एवं अग्रिम का वितरण	89	165	273	369	240
12(अ)राज्य अंतरीय समायोजन	01	00	00	01	00
13. योग (10+11+12+12(अ))	46195	51811	57909	66600	73555
14.लोक ऋण का पुर्णभुगतान	1337(3)	1250(02)	1153(02)	1000(1)	1146(1)
आंतरिक ऋण	1180(88)	1086(87)	983(85)	828(83)	953(83)
शुद्ध लेनदेन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम	157(12)	164(13)	170(15)	172(17)	193(17)
15.आकस्मिकता निधि में पुर्णविविधियोजन	00	00	60	00	00
16.संचित निधि से कुल वितरण(13+14+15)	47532	53061	59122	67600	74700
17.आकस्मिकता निधि से भुगतान	00	00	00	00	05
18. लोक लेखे से भुगतान	49933	54001	61149	71754	76357
19. राज्य द्वारा किया गया कुल भुगतान(16+17+18)	97465	107062	120271	139354	151057
भाग ग – कमी					
20.राजस्व कमी(–)(1–10) / आधिक्य (+)	(–)1573	2367	5521	3417	684
21. वित्तीय कमी (–) आधिक्य(+)(4–13)	(–)8008	(–)4574	(–)4047	(–)6810	(–)8292
22.प्राथमिक कमी(–) प्राथमिक आधिक्य(+)(21+23)	(–)6281	(–)2425	(–)1360	(–)3712	(–)4640
भाग घ – अन्य आंकडे					
23.ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय के साथ)	1727	2149	2687	3098	3652
24.अर्थोपाय अग्रिम /ओहरड्राफट का उपयोग (दिवस)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग (दिवस)	05	0.00	0.00	0.00	0.00
ओहरड्राफट का उपयोग (दिवस)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25. अर्थोपाय अग्रिम /ओहरड्राफट पर ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.सकल राज्य घरेलू उत्पाद	221118	227383	254722	284194	311660
27.वर्षान्त पर देयतायें	30981	37741	44258	52936	66750
28.वर्षान्त पर लंबित प्रतिभुतियां (गांरटियां)	2314	1988	3983	3882	10769
29.वर्षान्त पर अधिकतम गांरटियां राशि	9080	14883	12641	6550	19574
30.अधूरे परियोजना की संख्या	167	194	145	110	107
31.अधूरे परियोजना में अवरुद्ध पूँजी	4824	5912	5937	4067	4365
भाग—ड – वित्तीय स्वास्थ्य सूचक					
1. संसाधनों का प्रचलन					
स्वयं कर राजस्व/घरेलू राज्य सकल उत्पाद (अनुपात)	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
स्वयं गैर कर राजस्व / घरेलू राज्य सकल उत्पाद (अनुपात)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
केंद्रीय कर हस्तांतरण/घरेलू राज्य सकल उत्पाद (अनुपात)	0.04	0.06	0.06	0.07	0.08
2. व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय / घरेलू राज्य सकल उत्पाद (अनुपात)	0.2	0.2	0.2	0.23	0.24
कुल व्यय / राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	1.22	1.12	1.08	1.12	1.13
राजस्व व्यय / कुल व्यय (अनुपात)	0.86	0.84	0.83	0.84	0.88
पूँजीगत व्यय / कुल व्यय (अनुपात)	0.14	0.15	0.16	0.15	0.12

	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
समाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय / कुल व्यय (अनुपात)	0.14	0.15	0.16	0.15	0.66
3. राजकोषीय असंतुलनों का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य) / स.रा.घ.उ. (अनुपात)	(-)0.01	0.01	0.02	0.012	0.002
राजकोषीय घाटा(–) / आधिक्य (+) / स.रा.घ.उ. (अनुपात)	(-)0.03	(-)0.02	(-)0.01	(-)0.02	(-)0.027
प्रारंभिक घाटा / आधिक्य / स.रा.घ.उ.(अनुपात)	(-)0.03	(-)0.01	(-)0.00	(-)0.01	(-)0.015
राजस्व घाटा / आधिक्य / राजकोषीय घाटा (अनुपात)	0.2	(-)0.52	(-)1.36	(-)0.50	(-)0.082
4. राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन					
राजकोषीय देनदारियाँ / स.रा.घ.उ.(अनुपात)	0.13	0.14	0.15	0.18	0.21
राजकोषीय देनदारियाँ / राजस्व प्राप्तीयाँ (अनुपात)	0.82	0.82	0.81	0.89	1.03
5. अन्य राजकोषीय सूचक					
निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत)	0.05	0.09	0.01	0.07	0.02
वित्तीय परिसंपत्तियाँ / देनदारियाँ (अनुपात)	1.36	1.47	1.53	1.48	1.43

परिशिष्ट 2.1
 (संदर्भ: कंडिका—2.2.1, पृष्ठ 34)
अनुदानों/विनियोगों के अतर्गत आधिक्य व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान की संख्या/विनियोग	अनुदान/विनियोग की संख्या	राशि की आधिक्य
2000–01	11 अनुदान	2, 14, 23, 24, 33, 34, 60, 71, 80, 82 और 83	10.21
	2 विनियोग	6 और 24	
2001–02	14 अनुदान	6, 14, 15, 17, 23, 24, 30, 33, 45, 54, 60, 67, 71 और 83	115.9
	2 विनियोग	16 और 25	
2002–03	8 अनुदान	10, 15, 24, 33, 37, 45, 58 और 82	114.59
	2 विनियोग	20 और 67	
2003–04	4 अनुदान	12, 33, 40 और 67	591.12
	2 विनियोग	ब्याज भुगतान और 6	
2004–05	4 अनुदान	15, 24, 67 और 81	133.36
	5 विनियोग	ब्याज भुगतान, लोक ऋण, 6, 10 और 42	
2005–06	4 अनुदान	4, 15, 24 और 39	23.27
	2 विनियोग	6 और 23	
2006–07	4 अनुदान	4, 24, 67 और 82	5.13
	1 विनियोग	33	
2007–08	4 अनुदान	23, 33 और 60	15.99
	3 विनियोग	13, 24 और 36	
2008–09	9 अनुदान	6, 23, 24, 40, 67, 75, 76, 80 और 82	115.26
	1 विनियोग	23	
2009–10	10 अनुदान	3, 6, 22, 23, 24, 25, 49, 64, 76 और 80	216.77
	5 विनियोग	3, 12, 13, 43 और 67	
2010–11	22 अनुदान	1, 2, 6, 7, 8, 9, 12, 18, 23, 25, 29, 30, 39, 40, 45, 49, 56, 57, 58, 75, 82 और ब्याज भुगतान	293.78
	6 विनियोग	लोक ऋण 1, 20, 23, 29 और 36	
2011–12	24 अनुदान	1, 2, 6, 7, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 27, 29, 34, 40, 43, 45, 47, 50, 53, 55, 66, 80, 81 और 83	498.09
	1 विनियोग	29	
2012–13	2 अनुदान	40 और 45	0.96
	2 विनियोग	6 और 55	
2013–14	3 अनुदान	06, 12 और 60	178.96
	3 विनियोग	06, 14 और 27	
2014–15	4 अनुदान	06, 19, 33 और 80	833.54
	2 विनियोग	06 और लोक ऋण	
2015–16	3 अनुदान	6, 12 और 50	98.24
	2 विनियोग	41 और ब्याज भुगतान	
2016–17	2 अनुदान	06 और 50	0.92
	3 विनियोग	06, 55 ब्याज भुगतान और ऋण की सर्विसिंग	
2017–18	3 अनुदान	06, 49 और 50	2.24
	3 विनियोग	14, 33 और 55	
योग			3,260.16

(ज्ञात: विनियोग लेखे 2000–01 से 2017–18)

परिशिष्ट 2.2
 (संदर्भ: कंडिका—2.2.3, पृष्ठ 35)
योजनायें जिनमें ₹10 करोड़ से अधिक आधिक्य व्यय हुए

(₹ करोड़ में)

संक्र.	विभाग	योजना का नाम	कुल प्रावधान	व्यय	आधिक्य
1	वित्त	06—2071—01—102—3080—भारत में पेंशनों का रूपान्तरित मूल्य का भुगतान	5.00	22.79	17.79
2	वित्त	06—2071—01—104—4590—सेवा एवं मूल्य निवृत्ति पुरस्कार	500.00	587.37	87.37
3	वित्त	06—2071—01—105—2514—परिवार पेंशन	775.00	834.70	59.70
4	वित्त	06—2071—01—115—5438—अवकाश नगदीकरण	150.00	221.89	71.89
5	वित्त	06—2071—01—117—6801—राज्य शासन का अंशदान	490.00	757.00	267.00
6	ऊर्जा	12—2801—80—101—0101—7620—उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में राहत हेतु सब्सिडी	0.01	35.15	35.14
7	ऊर्जा	12—4801—06—800—0410—6758—कृषि पम्पों का ऊर्जाकरण	0.01	50.00	49.99
8	कृषि	13—2401—102—0101—7931—चना उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना	60.00	74.55	14.55
9	सहकारिता	17—6425—108—0101—5055—सहकारी शक्कर कारखाना	20.00	110.00	90.00
10	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	19—2210—03—198—0101—620—उप स्वास्थ्य केन्द्र	66.88	81.71	14.83
11	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	24—5054—03—101—0101—4151—वृहद पुलों का निर्माण	120.00	140.25	20.25
12	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	24—5054—04.337—0101—2457—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	90.00	120.88	30.88
13	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बंधित व्यय	30—5054—04—337—0311—7475—मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना	54.72	66.93	12.22
14	लोक स्वास्थ्य	41—2210—03—197—0102—5998—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	64.55	86.94	22.39
15	लोक स्वास्थ्य	41—2210—03—198—0102—620— उप स्वास्थ्य केन्द्र	34.55	60.89	26.34
16	ऊर्जा	41—2801—80—101—0102—7620— उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में राहत हेतु सब्सिडी	0.01	26.72	26.71
17	ऊर्जा	41—4801—06—800—0410—6758— कृषि पम्पों का ऊर्जाकरण	0.01	38.00	37.99
18	राजस्व	58—2245—80—800—7729— डुबने से, धसकने से, रसोई गैस फटने से, बिजली गिरने से मृत्यु होने पर राहत	23.60	43.46	19.86
19	ऊर्जा	64—4801—06—800—0410—6758— कृषि पम्पों का ऊर्जाकरण	0.01	12.00	11.99
20	लोक निर्माण कार्य—भवन	67—2059—60—053—7755— अतिविशिष्ट अतिथियों	50.00	98.03	48.03
21	लोक निर्माण कार्य—भवन	67—4202—03—102—0101—5226— मूलभूत सुविधाओं का विकास—स्टेडियम आदि	29.52	49.19	19.67
22	जल संसाधन विभाग	75—4702—101—0311—9469— नाबाड से ऋण सहायता अन्तर्गत	65.00	87.40	22.40
योग			2598.87	3605.85	1006.99

(स्रोत: विनियोग लेखे 2018–19)

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ: कंडिका—2.2.4., पृष्ठ 36)

अनुदान स्तर पर प्रत्येक प्रावधान में ₹100 करोड़ से अधिक की बचत

(₹ करोड़ में)

संक्र.	मांग संख्या	मांग का नाम	कुल प्रावधान	बचत	बचत का प्रतिशत
अ—राजस्व दत्तमत					
1	3	पुलिस	4317.44.	616.89	14.28
2	6	वित्त विभाग	6718.11	942.3	14.02
3	8	भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन	1044.8	389.97	37.32
4	10	वन	1069.13	314.54	29.42
5	12	ऊर्जा विभाग	2080.69	1077.72	51.79
6	13	कृषि	5628.89	553.13	9.82
7	14	पशुपालन विभाग	501.7	158.26	31.54
8	15	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	607.04	395.15	65.09
9	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2197.32	491.12	22.35
10	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	394.32	135.06	34.25
11	23	जल संसाधन विभाग	588.88	105.08	17.84
12	24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	1597.77	802.96	50.25
13	25	खनिज संसाधन विभाग	342.55	188.45	55.01
14	27	स्कूल शिक्षा	3912.01	663.64	16.96
15	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	537.15	104.09	19.37
16	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	3861.83	1592.95	41.24
17	33	आदिम जाति कल्याण	3134.23	179.34	5.72
18	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग	2273.7	328.53	14.44
19	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	16976.9	3907.94	23.01
20	44	उच्च शिक्षा	664.16	103.89	15.64
21	47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	371.95	145.16	39.02
22	55	महिला एवं बाल कल्याण	1034.96	499.51	48.26
23	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत	608.64	152.9	25.12
24	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	5514.23	1271.74	23.06
25	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	256.29	101.77	39.70
26	69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय कल्याण	1060.76	311.46	29.36
27	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	618.29	183.13	29.61
28	80	त्रि—स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	4200.48	1875.43	44.64
29	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2277.05	912	40.05
30	82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रि—स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1913.65	1079.57	56.41
योग — अ			76304.92	19583.68	

सं. क्र.	मांग संख्या	मांग का नाम	कुल प्रावधान	बचत	बचत का प्रतिशत
ब— पूंजीगत दत्तमत					
31	8	भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन	340.43	253.05	74.33
32	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग	695.53	498.27	71.63
33	23	जल संसाधन विभाग	488.15	146.35	29.98
34	24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	1656.79	475.6	28.70
35	25	खनिज संसाधन विभाग	415.68	329.11	79.17
36	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	700.89	101.47	14.47
37	40	आयाकट विभाग	261.00	249.62	95.63
38	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	3265.76	1267.63	38.81
39	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	1082.19	265.56	24.53
40	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	395.80	127.04	32.09
41	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	1566.79	684.26	43.67
42	67	लोक निर्माण कार्य—भवन	675.83	361.18	53.44
43	71	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	563.40	459.4	81.54
44	75	जल संसाधन विभाग से सम्बंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	700.00	240.01	34.28
45	76	लोक निर्माण विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	775.60	315.26	40.64
46	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	610.61	425.61	69.70
योग — ब			14194.45	6199.42	
स— राजस्व भारित					
47	CH -1	ब्याज भुगतान और ऋण की सर्विसिंग	4304.56	575.56	13.37
योग — स			4304.56	575.56	
द— पूंजीगत भारित					
48	CH-2	लोक ऋण	2063.37	917.47	44.46
योग — द			2063.37	917.47	
कुल योग			96867.30	27276.13	

(आंकड़े विनियोग लेखे 2018–19)

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ: कंडिका-2.2.4, पृष्ठ 36)

विनियागों के अंतर्गत वर्ष के दौरान ₹100 करोड़ से अधिक की बचत

(₹ करोड़ में)

संक्र.	विभाग का नाम	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
1	गृह	03-2055-109-4491-सामान्य व्यय-(जिला स्थापना)	2072.27	1797.77	274.50	13.25
2	गृह	03-2055-115-0600-7918-नक्सल प्रभावित जिलों को सहायता	266.64	160.00	106.64	39.99
3	वित्त	06-2071-01-101-2413-निवृत वेतन भोगियों को देय	3400.00	2969.24	430.76	12.67
4	वित्त	06-2435-60-101-0101-8671-लघु एवं सीमान्त कृषक ऋण माफी योजना	1223.47	249.86	973.61	79.58
5	राजस्व	08-2029-797-6754-अधोसंरचना विकास निधि में अंतरण	125.40	0.00	125.40	100.00
6	राजस्व	08-4059-80-051-0510-7860-अधोसंरचना एवं पर्यावरण निधि	210.00	4.99	205.01	97.62
7	ऊर्जा	12-2801-80-101-0101-7305-पांच एच.पी. के कृषि पर्म्पों को निःशुल्क विद्युत शुल्क में राहत हेतु सब्सिडी	1773.65	818.23	955.42	53.87
8	ऊर्जा	12-2801-80-101-0101-8914-विद्युत कम्पनियों को सहायता	100.00	0.00	100.00	100.00
9	पंचायती राज	15-2202-01-197-0103-8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिये अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिये	377.00	108.83	268.17	71.13
10	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	19-2210-01-200-0701-6960-राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	178.00	67.23	110.77	62.23
11	आवास एवं पर्यावरण	21-4217-01-051-0101-5371-नया रायपुर विकास प्राधिकरण	432.00	109.70	322.30	74.61
12	लोक निर्माण	24-3054-04-337-2227-नवीनीकरण	450.00	168.10	281.90	62.64
13	लोक निर्माण	24-3054-04-337-7510-ग्रामीण मार्गों का संधारण	436.00	152.62	283.38	65.00
14	लोक निर्माण	24-5054-05-337-0101-7818-ई.पी.सी (इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन)	350.00	0.00	350.00	100.00
15	खनिज संसाधन	25-2853-02-797-5390-5390-खनिज निधि में अंतरण	299.46	118.00	181.46	60.60
16	खनिज संसाधन	25-4853-01-004-0420-7794-परिवहन नेटवर्क (रेल मार्ग)	285.21	0.00	285.21	100.00
17	स्कूल शिक्षा	27-2202-02-109-0701-7247-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	250.00	3.12	246.88	98.75
18	पंचायत तथा ग्रामीण विकास	30-2215-02-107-0701-7610-स्वच्छ भारत अभियान	400.00	151.48	248.52	62.13
19	पंचायत तथा ग्रामीण विकास	30-2216-03-105-0701-7807-प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	1811.65	1079.46	732.19	40.42
20	पंचायत तथा ग्रामीण विकास	30-2505-60-196-0701-6728-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरंटी योजना	723.56	384.24	339.32	46.90
21	पंचायत तथा ग्रामीण विकास	30-3054-04-105-4855-प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	400.00	260.36	139.64	34.91
22	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	39-2408-01-101-0701-7872-पी.डी.एस. डीलर का मार्जिन	207.97	31.84	176.13	84.69
23	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	39-2408-01-102-0101-8933-शक्कर वितरण योजना	100.00	0.00	100.00	100.00
24	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	40-4705-209-0701-7907-कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई की पूर्ति	245.00	0.00	245.00	100.00
25	आदिवासी क्षेत्र	41-2202-01-109-0702-8979-एकीकृत अम्बेला योजना	213.20	110.24	102.96	48.29
26	आदिवासी क्षेत्र	41-2202-01-111-0702-5396-सर्व शिक्षा अभियान	570.00	421.39	148.61	26.07
27	आदिवासी क्षेत्र	41-2202-02-109-0702-7247-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	200.00	2.13	197.87	98.94
28	आदिवासी क्षेत्र	41-2215-02-107-0702-7610-स्वच्छ भारत अभियान	304.00	193.40	110.60	36.38
29	आदिवासी क्षेत्र	41-2216-03-105-0702-7807-प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	1376.85	854.29	522.56	37.95
30	आदिवासी क्षेत्र	41-2236-02-101-0702-9050-न्यूनतम आवध्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	259.30	152.19	107.11	41.31

सं. क्र. .	विभाग का नाम	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
31	आदिवासी क्षेत्र	41-2408-01-102-0102-7436-अन्त्योदय अन्न योजनान्तर्गत चना वितरण योजना	450.00	294.16	155.84	34.63
32	आदिवासी क्षेत्र	41-2505-60-196-0702-6728-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना	549.90	292.02	257.88	46.90
33	आदिवासी क्षेत्र	41-2801-06-101-0102-7305-5 एच.पी. कृषि पर्मों के लिए मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए अनुदान	717.92	536.62	181.30	25.25
34	आदिवासी क्षेत्र	41-4202-01-202-1202-1400-विवेकानंद गुरुकुल उन्नयन योजना	116.03	0.00	116.03	100.00
35	आदिवासी क्षेत्र	41-4702-102-0102-7422-औद्योगिक जल संरचना निर्माण	132.50	28.80	103.70	78.26
36	आदिवासी क्षेत्र	41-5275-101-0102-7861-संचार क्रांति योजना	412.98	79.04	333.94	80.86
37	लोक निर्माण	42-5054-05-337-0102-7818-ई.पी.सी. (इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन)	416.00	270.40	145.60	35.00
38	महिला एवं बाल कल्याण	55-2235-02-102-0701-9044-एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	267.37	125.39	141.98	53.10
39	महिला एवं बाल कल्याण	55-2236-02-101-0701-9050-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	336.18	205.36	130.81	38.91
40	अनुसूचित जाति	64-2202-02-109-0703-7247-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	174.00	1.00	173.00	99.43
41	अनुसूचित जाति	64-2801-06-101-0103-7305-5 एच.पी. कृषि पर्मों के लिए मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए अनुदान	484.11	290.46	193.65	40.00
42	अनुसूचित जाति	64-5054-05-337-0103-7818-ई.पी.सी. (इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन)	391.00	253.40	137.60	35.19
43	अनुसूचित जाति	64-5275-101-0103-7861-संचार क्रांति योजना	130.41	24.96	105.45	80.86
44	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	69-2217-80-191-0701-7706-अमरीत योजना	341.76	157.08	184.68	54.04
45	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	71-5275-101-0101-7861-संचार क्रांति योजना	543.40	104.00	439.40	80.86
46	लोक निर्माण विभाग	76-5054-03-337-1201-7433-छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट, फेज-2	373.58	174.99	198.59	53.16
47	पंचायत तथा ग्रामीण विकास	80-2202-01-197-0101-8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	1142.27	461.40	680.87	59.61
48	पंचायत तथा ग्रामीण विकास	80-2202-02-196-0101-8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	400.00	177.53	222.47	55.62
49	पंचायत तथा ग्रामीण विकास	80-2515-198-7675-14वें वित्त आयोग के अनुशंसा के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	1296.39	661.31	635.08	48.99
50	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	81-3604-191-8018-प्रवेश कर से प्राप्त आगम के बराबर शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान	846.39	480.88	365.51	43.18
51	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	81-3604-192-8018-प्रवेश कर से प्राप्त आगम के बराबर शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान	279.64	159.13	120.51	43.09
52	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	81-4217-60-191-0101-7241-नगरीय निकायों का अधोसंरचना विकास	198.01	0.00	198.01	100.00
योग			29040.47	15146.64	13893.82	47.84

(स्रोत: विनियोग लेखे 2018-19)

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ: कंडिका—2.2.4.2 पृष्ठ 36)

बिना अनुदानों/विनियोगों की सीमा के योजनाओं के अंतर्गत ₹100 करोड़ से अधिक बचत

(₹ करोड़ में)

संक्र.	योजना कोड	विभाग	योजना का नाम	कुल प्रावधान	व्यय	बचत
1	2	3	4	5	6	7
1	1400	अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास	विवेकानन्द गुरुकुल उन्नयन योजना	266.06	121.46	144.60
2	1473	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	जिला चिकित्सालय	370.32	238.74	131.58
3	2227	लोक निर्माण कार्य—सङ्डर्कों और पुल	नवीनीकरण	520.00	236.83	283.17
4	2413	वित्त	सेवा निवृत वेतन भोगियों को देय	3400	2969.24	430.76
5	2898	जल संसाधन	बांध तथा संलग्न काय	284.95	131.56	153.39
6	3673	स्कूल शिक्षा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास	राज्य छात्रवृत्तियाँ	343.70	186.48	157.22
7	4491	गृह	सामान्य व्यय—(जिला स्थापना)	2077.91	1798.13	279.79
8	4855	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	प्रधान मंत्री ग्राम सङ्क योजना	1460.40	1269.29	191.11
9	5059	जल संसाधन	एनीकट / स्टॉपडेम का निर्माण	312.00	139.61	172.39
10	5371	आवास एवं पर्यावरण	नया रायपुर विकास प्राधिकरण	597.50	178.73	418.77
11	5390	खनिज संसाधन	खनिज निधि में अंतरण	299.46	118.00	181.46
12	5396	स्कूल शिक्षा	सर्व शिक्षा अभियान	1500.00	1260.81	239.19
13	5403	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	पाईप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	200.10	96.23	103.88
14	5516	जल संसाधन	वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबाड़)	548.20	327.19	221.01
15	5628	वित्त	कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज अनुदान	206.26	68.35	137.91
16	5904	स्कूल शिक्षा	पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क प्रदाय	110.00	0.49	109.51
17	6299	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	ग्रामीण क्षेत्रों में गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	155.62	29.24	126.38
18	6728	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	1419.75	765.67	654.08
19	6754	भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन	अधोसंरचना विकास निधि में अंतरण	125.40	0.00	125.40
20	6884	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1011.00	819.55	191.45
21	6960	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	315.70	105.89	209.81
22	7241	शहरी प्रशासन और विकास	नगरीय निकायों का अधोसंरचना विकास	549.31	194.71	354.61
23	7242	कृषि, मछली पालन, पशुपालन	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)	248.47	89.36	159.11
24	7247	स्कूल शिक्षा	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	674.00	6.24	667.76
25	7305	ऊर्जा	5 एच.पी. कृषि पर्मों के लिए मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए अनुदान	2975.68	1645.31	1330.37
26	7350	कृषि	एकीकृत वाटरशेल प्रबंधन कार्यक्रम	200.00	86.19	113.81
27	7353	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	184.00	76.93	107.07
28	7422	जल संसाधन	आद्योगिक जल संरचना निर्माण	205.79	87.80	118.00
29	7433	लोक निर्माण	छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट	775.60	458.76	316.84

सं. क्र.	योजना कोड	विभाग	योजना का नाम	कुल प्रावधान	ब्यय	ब्लूट	
30	7436	अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास	अन्त्योदय अन्न योजनान्तर्गत चना वितरण योजना	450.00	294.16	155.84	
31	7490	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	300.00	146.78	153.22	
32	7510	लोक निर्माण कार्य-सङ्कें और पुल	ग्रामीण मार्गों का संधारण	436.00	152.62	283.38	
33	7610	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	स्वच्छ भारत अभियान	995.17	579.36	415.81	
34	7626	अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास	विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाओं से स्थानीय विकास कार्यक्रम	328.77	165.27	163.50	
35	7675	शहरी प्रशासन और विकास	14वें वित्त आयोग के अनुशंसा के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	1728.93	888.78	840.15	
36	7693	ऊर्जा	सोलर पंप हेतु सहायक अनुदान	635.96	535.26	100.70	
37	7706	शहरी प्रशासन और विकास	अमरीत योजना	415.68	231.00	184.68	
38	7794	खनिज संसाधन	परिवहन नेटवर्क (रेल मार्ग	285.20	0.00	285.21	
39	7807	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	3623.35	2345.67	1277.68	
40	7818	लोक निर्माण	ई.पी.सी.(इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन)	1157.00	523.80	633.20	
41	7860	भू-राजस्व	अधोसंरचना एवं पर्यावरण निधि	438.00	186.65	251.35	
42	7861	इलेक्ट्रनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	संचार क्रांति योजना	1086.79	208.00	878.79	
43	7872	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	पी.डी.एस. डीलर का मार्जिन	207.97	31.84	176.13	
44	7907	अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास	कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई की पूर्ति (आई.एस.बी.आई.)	245.00	0.00	245.00	
45	7918	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	नक्सल प्रभावित जिलों को सहायता	266.64	160.00	106.64	
46	7921	लोक निर्माण कार्य-सङ्कें और पुल	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	200.00	70.28	129.72	
47	7943	वित्त	मूल्य समर्थन योजना में दलहन एवं तिलहन खरीदी	100.00	0.00	100.00	
48	8018	जल संसाधन	प्रवेश कर से प्राप्त आगम के बराबर शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान	1375.20	791.52	583.68	
49	8403	स्कूल शिक्षा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास	शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	2189.80	928.59	1261.21	
50	8671	गृह	लघु एवं सीमान्त कृषक ऋण माफी योजना	1223.47	249.86	973.61	
51	8914	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	विद्युत कर्मियों का सहायता	200.00	0.00	200.00	
52	8933	जल संसाधन	शक्कर वितरण योजना	200.00	0.00	200.00	
53	8972	आवास एवं पर्यावरण	धान उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना	7591.50	7370.03	221.47	
54	8979	खनिज संसाधन	एकीकृत अम्बेला योजना	216.65	110.24	106.41	
55	9044	स्कूल शिक्षा	एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	525.92	339.65	186.28	
56	9050	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	735.44	408.20	327.24	
योग					48495.62	30224.35	18271.33

(ज्ञात: विनियोग लेखे 2018-19)

परिशिष्ट 2.6

(संदर्भ: कंडिका-2.2.5: पृष्ठ 37)

वर्ष 2014–15 से 2018–19 के दौरान ₹20 करोड़ से अधिक तथा ₹10 प्रतिशत से अधिक सतत बचत

सं. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत राशि (₹ करोड़ में)				
			अनुदान से प्रतिशत (तिरछे अक्षरों में)				
			14–15	15–16	16–17	17–18	18–19
राजस्व दत्तमत							
1	8	भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन	176.7 32.46	113.08 16.89	195.65 19.47	203.01 19.77	389.98 37.33
2	14	पशुपालन विभाग	61.21 19.16	51.25 14.6	113.26 27.01	74.58 17.15	158.26 31.54
3	18	श्रम	60.55 52.68	43.61 37.06	51.93 39.38	41.98 30.8	77.17 39.69
4	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	241.13 19.47	189.76 14.44	288.37 16.89	218.18 11.57	491.13 22.35
5	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	90.03 19.21	50.24 12.80	83.39 23.2	91.53 24.4	135.06 34.25
6	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग	44.96 40.09	114.49 73.25	88.78 50.14	75.86 56.24	93.26 59.61
7	24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	222.76 29.78	314.73 29.46	354.8 38.08	322.15 28.37	802.96 50.26
8	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	86.34 28.74	62.26 22.71	102.42 32.39	81.2 24.99	104.09 19.38
9	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	748.51 33.30	1133.54 46.97	669.16 19.61	532.91 13.8	1592.95 41.25
10	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्बंधित व्यय	665.56 30.60	1615.27 30.31	456.75 21.63	464.58 24.84	328.53 14.45
11	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2393.7 28.82	3146.19 32.93	2807.58 27.47	2429.12 18.39	3907.94 23.02
12	43	खेल और युवा कल्याण	43.23 74.27	73.79 65.67	73.95 77.36	52.88 74.53	55.12 81.24
13	44	उच्च शिक्षा	186.97 32.90	132.05 22.2	222.87 33.63	114.6 16.79	103.89 15.64
14	47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	108.35 37.88	335.89 56.73	175.41 34.07	89.79 23.29	145.16 39.03
15	55	महिला एवं बाल कल्याण	229.20 28.01	286.11 31.51	318.72 33.05	261.18 28.08	499.51 48.26
16	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	932.09 30.94	1148.1 34.79	794.37 22.65	733.5 16.29	1271.74 23.06
17	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	48.05 23.5	60.12 27.73	42.22 14.22	57.67 24.65	101.78 39.71
18	67	लोक निर्माण कार्य—भवन	71.96 16.08	126.1 25.02	236.8 35.7	158.72 25.61	98.44 14.88
19	69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय कल्याण	454.03 70.09	345.55 71.31	417.45 36.4	121.4 16.54	311.46 29.36
20	71	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	77.29 53.05	26.42 19.78	48.85 45.63	41.76 40.34	90.93 64.45
21	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	68.11 18.85	66 16.96	145.59 26.56	160.36 27.1	183.13 29.62
22	82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रि—स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	364.17 16.95	257.04 18.41	418.14 21.98	321.79 16.8	1079.58 56.41

सं. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत राशि (₹ करोड़ में)				
			अनुदान से प्रतिशत (तिरछे अक्षरों में)				
			14–15	15–16	16–17	17–18	18–19
राजस्व दत्तमत							
23	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	20.42	72.94	43.4	78.31	120.96
			34.9	39.84	18.29	26.23	42.54
24	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग	209.4	616.45	178.88	353.65	498.27
			60.34	66.96	27.22	54.6	71.64
25	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	203.5	317.72	158.31	258.53	101.47
			26.65	32.04	22.36	32.76	14.48
26	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	808.73	686.97	575.76	962.95	1267.63
			41.5	29.19	20.64	31.55	38.82
27	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	81.59	372	574.36	926.34	265.56
			19.48	47.59	49.88	59.42	24.54
28	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	95.39	96.52	94.59	185.82	127.04
			21.14	19.83	18.5	39	32.10
29	47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	36.47	61.28	67.82	23.98	26.68
			53.16	64.54	67.27	61.28	85.99
30	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	218.11	470.44	492.52	485.1	684.26
			25.37	40.62	37.18	41.13	43.67
31	67	लोक निर्माण कार्य—भवन	56.81	125.66	251.27	263.46	361.18
			15.21	20.65	39.03	44.02	53.44
32	68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—भवन	46.83	20.87	36.35	141.51	94.95
			20.21	10.15	15.17	55.03	51.87

(ज्ञात: विनियोग लेखे 2014–15 से 2018–19)

परिशिष्ट 2.7

(संदर्भ: कंडिका-2.2.6: पृष्ठ 37)

योजनाएँ जिनमें ₹10 करोड़ से अधिक का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	विभाग	लेखे का शीर्ष	कुल प्रावधान
1	पुलिस	03-2055-104-0701-7936—विशेष अधोसंचना योजना—सुदृढ़ पुलिस थानों के निर्माण के साथ	10.00
2	गृह	04-2235-60-200-0801-7934—केन्द्रीय पीडित क्षतिपूर्ति योजना	14.28
3	वित्त	06-2054-095-1201-7919—छत्तीसगढ़ लोक वित्त प्रबंधन परियोजना	10.00
4	वाणिज्यिक कर	07-2030-02-797-7428—छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम 1982 के अंतर्गत भूमि के अंतरण पर उपकर का ग्रामीण विकास निधि में अंतरण	32.00
5	वाणिज्यिक कर	07-2030-02-797-7429—छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम के अंतर्गत लगाये गये स्टाम्प शुल्क का अंतरण	60.00
6	भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन	08-2029-797-6753—पर्यावरण निधि का अंतरण	87.82
7	भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन	08-2029-797-6754—अधोसंचना विकास निधि में अंतरण	125.40
8	वन	10-2406-01-105-252—अन्य व्यय अनुग्रह अनुदान आर्थिक सहायता	22.00
9	ऊर्जा	12-2801-80-101-0101-7758—उदय योजनांतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य—विद्युत वितरण कंपनी को अनुदान	32.83
10	ऊर्जा	12-2801-80-101-0101-8914—विद्युत कम्पनियों को सहायता	100.00
11	ऊर्जा	12-4801-02-190-0101-7498—पूँजीगत व्यय विद्युत पारेषण/उत्पादन/वितरण	15.35
12	ऊर्जा	12-4801-06-800-0101-7899—पम्प फिलर सेप्रेशन स्कीम	10.00
13	कृषि	13-2401-105-7283—छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ को उर्वरक व्यवसाय हेतु सहायता	10.00
14	कृषि	13-2401-119-0701-7684—प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	22.15
15	कृषि	13-2401-800-0311-7853—नाबार्ड पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना	46.50
16	पशुपालन	14-2403-101-0101-7403—कामधेनु पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय	15.00
17	पशुपालन	14-2403-101-0311-7471—नाबार्ड योजनांतर्गत पशुधन एवं कुक्कुट उद्यमिता विकास हेतु अनुदान	12.50
18	सहकारिता	17-6425-108-0101-7943—मूल्य समर्थन योजना में दलहन एवं तिलहन खरीदी	98.00
19	आवास एवं पर्यावरण	21-2049-60-701-7552—कर्मचारियों हेतु आवासीय भवनों का निर्माण	32.00
20	आवास एवं पर्यावरण	21-2216-02-190-0101-7444—विकास नगर योजना	10.00
21	आवास एवं पर्यावरण	21-4217-01-051-0101-7416-13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत प्राप्त अनुदान	10.00
22	आवास एवं पर्यावरण	21-4217-01-051-0101-7685—स्मार्ट सिटी	40.00
23	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	24-5054-05-337-0101-7818-ई.पी.सी. (इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन)	350.00
24	खनिज संसाधन विभाग	25-4853-01-004-0420-7794—परिवहन नेटवर्क (रेल मार्ग)	285.21
25	स्कूल शिक्षा	27-2202-02-106-0101-5904—पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क प्रदाय	12.20
26	स्कूल शिक्षा	27-4202-01-202-0101-5646—सैनिक स्कूलों की स्थापना	19.00
27	स्कूल शिक्षा	27-4202-01-202-0701-7247—राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	50.00
28	पंचायत तथा ग्रामीण विकास	30-4515-102-0101-7475—मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना	10.00
29	पंचायत तथा ग्रामीण विकास	30-5054-04-101-0101-4871—प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गे पर पुलों का निर्माण	20.00
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास	30-5054-04-337-0101-4855—प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	30.00
31	परिवहन	36-5055-050-0801-7750—झायविंग ट्रेनिंग एवं अनुसंधान संस्थान	14.40
32	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	39-2408-01-102-0101-8933—शक्कर वितरण योजना	100.00
33	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	39-2408-01-102-0701-7801—मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना	12.50
34	आयाकट विभाग	40-4705-209-0701-7907—कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई की पूर्ति	245.00
35	आदिवासी क्षेत्र	41-2202-01-109-0102-3673—राज्य छात्रवृत्तियों	70.00

सं. क्र.	विभाग	लेखे का शीर्ष	कुल प्रावधान
36	आदिवासी क्षेत्र	41-2202-02-106-0102-5904-नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय	17.80
37	आदिवासी क्षेत्र	41-2202-04-200-0702-7362-साक्षर भारत योजना	16.00
38	आदिवासी क्षेत्र	41-2401-119-0702-7684-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई विकास योजना	16.83
39	आदिवासी क्षेत्र	41-2401-800-0312-7853-नाबार्ड पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना	35.34
40	आदिवासी क्षेत्र	41-2406-01-105-0102-5231-लघु वनोपज कार्य हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान	16.00
41	आदिवासी क्षेत्र	41-2406-04-101-0702-7261-राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम	27.20
42	आदिवासी क्षेत्र	41-2408-01-102-0102-8933-शक्कर वितरण योजना	76.00
43	आदिवासी क्षेत्र	41-2801-80-101-0102-8914-विद्युत कम्पनियों को सहायता	76.00
44	आदिवासी क्षेत्र	41-4202-01-202-1202-1400-वेवेकानंद गुरुकुल उन्नयन योजना	116.03
45	आदिवासी क्षेत्र	41-4210-01-110-0702-7851-टर्सरी कैंसर संस्थान	10.00
46	आदिवासी क्षेत्र	41-4235-02-102-0702-337-आंगनवाड़ियों का सुधार एवं निर्माण	15.20
47	आदिवासी क्षेत्र	41-4701-17-800-0102-3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य	13.31
48	आदिवासी क्षेत्र	41-4801-02-190-0102-7498-पूँजीगत व्यय विद्युत पारेषण / उत्पादन / वितरण कम्पनी	11.67
49	आदिवासी क्षेत्र	41-5054-04-101-0102-4871-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गों पर पुलों का निर्माण	20.00
50	आदिवासी क्षेत्र	41-5054-04-337-0102-4855-प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	30.00
51	खेल और युवा कल्याण	43-2204-104-0101-7473-37वें राष्ट्रीय खेल	33.30
52	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	45-5054-05-337-0101-7820-सड़क और पुलों का निर्माण	20.00
53	प्राकृतिक आपदाओं एवं सुखाग्रस्त	58-2245-02-106-1467-जिला एवं अन्य सड़कें	15.00
54	अनुसूचित जाति	64-2202-02-106-0103-5904-नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय	10.00
55	अनुसूचित जाति	64-2202-02-107-0803-8050-स्कॉलरशिप	12.03
56	अनुसूचित जाति	64-2401-800-0313-7853-नाबार्ड पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना	11.16
57	अनुसूचित जाति	64-2406-04-101-0703-7261-राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम	20.70
58	अनुसूचित जाति	64-2408-01-102-0103-8933-शक्कर वितरण योजना	24.00
59	अनुसूचित जाति	64-2801-80-101-0103-8914-विद्युत कम्पनियों को सहायता	24.00
60	अनुसूचित जाति	64-4202-01-202-1203-1400-वेवेकानंद गुरुकुल उन्नयन योजना	12.38
61	अनुसूचित जाति	64-4225-01-102-0703-7699-प्रधानमंत्री आदर्श ग्रामयोजना	40.00
62	अनुसूचित जाति	64-4515-102-0703-7759-श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहरी मिशन योजना	12.00
63	विमानन विभाग	65-5053-02-102-0101-4727-हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार	20.05
64	पिछड़ा वर्ग कल्याण	66-2202-02-109-0101-2949-बालिकाओं का गणवेश	10.00
65	पिछड़ा वर्ग कल्याण	66-4225-04-102-0701-7605-अल्पसंख्यक बहुक्षेत्रीय विकास योजना	13.39
66	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	69-2049-60-701-7709-सबके लिए आवास योजना	34.10
67	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	71-3275-800-0101-7276-स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना	32.20
68	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	71-5275-101-0101-7892-भारत नेट परियोजना के क्रियान्वयन हेतु	20.00
69	जल संसाधन विभाग	75-4700-09-800-0311-5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)	27.00
70	जल संसाधन विभाग	75-4700-10-800-0311-5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)	15.00
71	जल संसाधन विभाग	75-4700-11-800-0313-5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)	10.00
72	जल संसाधन विभाग	75-4700-12-800-0313-5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)	20.00
73	चिकित्सा शिक्षा विभाग	79-2210-01-110-0701-7637-राज्य कैंसर संस्थान	10.00
74	चिकित्सा शिक्षा विभाग	79-2210-02-101-0701-7730-राष्ट्रीय आयुष मिशन	10.00

सं. क्र.	विभाग	लेखे का शीर्ष	कुल प्रावधान
75	चिकित्सा शिक्षा विभाग	79-4210-01-110-0701-8938-चिकित्सा महाविद्यालय तथा सम्बद्ध चिकित्सालय, राजनांदगांव	16.80
76	चिकित्सा शिक्षा विभाग	79-4210-03-105-0701-8939-चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगांव	27.80
77	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	80-4515-198-1101-8991-गांव की गलियों का आंतरिक विद्युतीकरण	10.50
78	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	81-2217-05-191-0101-7329-विशिष्ट प्रयोजनार्थ	12.50
79	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	81-4217-60-191-0101-7241-नगरीय निकायों का अधोसंरचना विकास	198.01
80	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	81-4217-60-192-0101-7241-नगरीय निकायों का अधोसंरचना विकास	69.60
81	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	81-4217-60-193-0101-7241-नगरीय निकायों का अधोसंरचना विकास	87.00
82	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	81-6217-60-191-0101-7329-विशिष्ट प्रयोजनार्थ	46.00
योग			3456.04

(आठवां विनियोग लेखे 2018-19)

परिशिष्ट 2.8

(संदर्भ: कंडिका—2.2.7 (अ) पृष्ठ 37)

प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ या उससे अधिक अनुपूरक प्रावधान, जो अनुदान के अंतर्गत अनवाष्टक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

संक्र.	मांग संख्या	विवरण	वास्तविक प्रावधान	वास्तविक व्यय	वास्तविक प्रावधान के साथ बचत	अनुपूरक प्रावधान
--------	-------------	-------	-------------------	---------------	------------------------------	------------------

अ— राजस्व दत्तमत

1	01	सामान्य प्रशासन	209.18	189.23	19.95	22.59
2	03	पुलिस	4233.23	3700.55	532.69	84.21
3	04	गृह विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय	39.78	30.95	8.83	16.28
4	05	जेल	174.32	135.69	38.64	1.20
5	07	वाणिज्यिक कर विभाग	256.15	165.15	91.00	8.53
6	12	ऊर्जा विभाग	2047.79	1002.97	1044.82	32.90
7	14	पशुपालन विभाग	416.68	343.45	73.24	85.02
8	18	श्रम	173.58	117.27	56.31	20.85
9	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1978.47	1706.20	272.27	218.86
10	25	खनिज संसाधन विभाग	293.10	154.10	139.00	49.46
11	26	संरक्षित विभाग	40.83	37.71	3.11	20.50
12	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	472.07	433.06	39.01	65.08
13	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास	3227.24	2268.88	958.37	634.59
14	31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग	38.30	27.14	11.16	1.00
15	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग	2272.15	1945.16	326.99	1.54
16	47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	359.95	226.79	133.16	12.00
17	55	महिला एवं बाल कल्याण	990.51	535.45	455.06	44.45
18	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	247.41	154.51	92.89	8.88
19	69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय कल्याण	850.43	749.30	101.13	210.33
20	71	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	136.08	50.15	85.93	5.00
21	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	615.46	435.15	180.31	2.82
22	80	त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3819.69	2325.05	1494.64	380.79
23	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	1795.80	1365.05	430.75	481.25
योग—अ			24688.20	18098.96	6589.26	2408.13

ब— पूँजीगत दत्तमत

24	10	वन	17.32	7.63	9.69	12.00
25	17	सहकारिता	25.50	117.02	.91.52	103.00
26	24	लोक निर्माण कार्य—सङ्केत और पुल	1534.25	1181.18	353.07	122.54
27	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बंधित व्यय	675.89	599.42	76.47	25.00
28	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	3017.14	1998.13	1019.01	248.62
29	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	1455.95	882.54	573.41	110.85
30	67	लोक निर्माण कार्य—भवन	668.59	314.65	353.94	7.24
31	71	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	280.00	104.00	176.00	283.40
32	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	604.00	185.00	419.00	6.61
योग—ब			8278.64	5389.57	2889.07	919.26

स— राजस्व भारित

33	CH-1	ब्याज भुगतान और ऋण की सर्विसिंग	3967.45	3728.95	238.50	337.11
योग—स			3967.45	3728.95	238.50	337.11
कुल योग (अ+ब+स)			36934.29	27217.48	9716.83	3664.50

(स्रोत: विनियोग लेखे 2018-19)

परिशिष्ट 2.9(संदर्भ: कंडिका—2.2.7 (ब) पृष्ठ 37)
अनुदानों के अंतर्गत आधिक्य अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	मांग संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत
अ—राजस्व दत्तमत							
1	06	वित्त विभाग	5494.43	1223.67	6718.11	5775.81	942.30
2	13	कृषि	2358.75	3270.14	5628.89	5075.76	553.13
3	17	सहकारिता	157.49	1512.39	1669.88	1590.98	78.89
4	27	स्कूल शिक्षा	3021.70	890.31	3912.01	3248.37	663.64
5	32	जनसम्पर्क विभाग	225.43	60.00	285.43	228.49	56.93
6	33	आदिम जाति कल्याण	2074.02	1060.21	3134.23	2954.89	179.34
7	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	12304.57	4672.32	16976.89	13068.95	3907.94
8	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	4167.02	1347.21	5514.23	4242.49	1271.74
योग—अ			29803.41	14036.25	43839.67	36185.74	7653.91
ब— पूँजीगत दत्तमत							
9	17	सहकारिता	25.50	103.00	128.50	117.02	11.48
योग—ब			25.50	103.00	128.50	117.02	11.48
कुल योग (अ+ब)			29828.91	14139.25	43968.17	36302.76	7665.39

(स्रोत: विनियोग लेखे 2018-19)

परिशिष्ट 2.10
 (संदर्भ: कंडिका-2.2.8 (अ) पृष्ठ 37)
उप-शीर्षों के अंतर्गत अनावधानक अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

संक्र.	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	कुल प्रावधान में बचत	अनुपूरक प्रावधान
1	01-2013-105-9064- मंत्रियों द्वारा वैवेकिक अनुदान	35.70	35.52	0.18	7.00
2	03-2055-109-4491- सामान्य व्यय- (जिला स्थापना)	2046.97	1797.77	249.20	25.30
3	03-2055-109-6717- प्रतिपूर्ति योग्य सुरक्षा संबंधी व्यय	143.32	140.83	2.49	10.00
4	03-2055-115-0600-7918- नक्सल प्रभावित जिलों को सहायता	230.00	160.00	70.00	36.64
5	07-2040-001-3569- मुख्यालय स्थापना व्यय	11.12	8.52	2.60	8.50
6	12-2801-80-101-0101-7758- उदय योजनांतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य-विद्युत वितरण कंपनी को अनुदान	0.03	0.00	0.03	32.80
7	13-2401-108-0701-7830-परम्परागत कृषि विकास योजना	10.00	1.25	8.75	11.46
8	13-2401-113-0701-8961-कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान	25.50	12.76	12.74	11.37
9	14-2403-102-5535-छत्तीसगढ़ गौसेवा एवं ग्रामीण विकास आयोग को अनुदान	6.75	1.75	5.00	5.00
10	14-2403-103-0701-3578-मुर्गी पालन विकास की योजना कुक्कुट पालन प्रक्षेत्रों पर	15.17	12.60	2.58	1.27
11	18-2230-01-103-0101-7435-असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण मण्डल	29.25	25.45	3.80	13.93
12	18-2230-01-103-0101-8989-ठेका मजदूर, घरेलू कामकाजी महिला एवं हमाल कल्याण मण्डल	10.00	6.13	3.87	6.33
13	25-2853-02-797-5390-खनिज निधि में अंतरण	250.00	118.00	132.00	49.46
14	27-2202-01-102-0101-110-अशासकीय विद्यालयों हेतु अनुदान (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)	25.00	21.50	3.50	1.00
15	27-2202-02-110-0101-110-अशासकीय विद्यालयों हेतु अनुदान (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)	31.50	30.70	0.80	1.00
16	27-2204-102-3755- राष्ट्रीय सैन्य दल	24.93	14.28	10.65	1.81
17	30-2216-03-105-0701-7807-प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	1177.06	1079.46	97.60	634.59
18	41-2202-01-109-0702-8979- एकीकृत अम्बेला योजना	138.00	110.24	27.76	75.20
19	41-2210-05-105-0102-8941- चिकित्सा महाविद्यालय सरगुजा	22.29	14.34	7.95	1.75
20	41-2216-03-105-0702-7807-प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	894.57	854.29	40.28	482.28
21	41-2217-80-192-0702-7610- स्वच्छ भारत अभियान	9.17	9.17	0.00	2.05
22	41-2401-108-0702-7830- परम्परागत कृषि विकास योजना	7.60	1.73	5.87	10.06
23	41-4225-02-102-1002-5480- आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार {अनुच्छेद 275(1)}	120.00	104.62	15.38	9.60
24	41-5275-101-0102-7861- संचार क्रांति योजना	197.60	79.04	118.56	215.38
25	47-2230-03-003-0801-7867- प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना	2.14	0.00	2.14	7.84
26	55-2235-02-102-0701-7507- राज्य महिला सशक्तीकरण प्राधिकरण के अंतर्गत राज्य महिला आयोग की स्थापना	2.70	0.70	2.00	9.35
27	64-2202-01-101-0103-3491- माध्यमिक शालायें (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)	114.40	97.15	17.25	28.80

संक्र.	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	कुल प्रावधान में बचत	अनुपूरक प्रावधान
28	64-2202-02-109-0803-8050— स्कॉलरशिप	36.84	13.02	23.82	13.01
29	64-2230-03-003-0803-7867— प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना	1.08	0.00	1.08	1.06
30	64-2401-108-0703-7830—परम्परागत कृषि विकास योजना	2.40	0.66	1.74	3.48
31	64-2401-113-0703-8961—कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान	6.12	4.62	1.50	5.41
32	64-4225-01-102-0603-7626— विशेष कैन्द्रीय सहायता पोषित योजनाएं से स्थानीय विकास कार्यक्रम	15.00	9.83	5.17	36.77
33	64-4515-102-0703-7759— श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहरी मिशन योजना	6.00	0.00	6.00	6.00
34	64-5275-101-0103-7861— संचार क्रांति योजना	62.40	24.96	37.44	68.01
35	66-2202-02-109-0801-8050— स्कॉलरशिप	23.00	22.60	0.40	8.88
36	67-4210-03-105-0101-4220— शक्ति-चिकित्सा महाविद्यालय	70.00	7.95	62.05	5.60
37	69-2217-80-191-0701-7610— स्वच्छ भारत अभियान	58.00	47.45	10.55	13.85
38	71-5275-101-0101-7861— संचार क्रांति योजना	260.00	104.00	156.00	283.40
39	79-2210-01-110-7719— सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायपुर	16.53	7.30	9.23	2.30
40	80-2515-198-7675-14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	1180.02	661.31	518.71	116.37
41	81-2217-05-191-7675— 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	221.97	172.91	49.06	43.20
42	81-2217-05-192-7675— 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	71.66	27.91	43.75	13.95
43	81-2217-05-193-7675— 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	68.44	26.66	41.79	13.32
44	81-3604-191-8018— प्रवेश कर से प्राप्त आगम के बराबर शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान	617.52	480.88	136.64	228.87
45	81-3604-192-8018— प्रवेश कर से प्राप्त आगम के बराबर शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान	200.85	159.13	41.72	78.79
46	81-3604-193-8018— प्रवेश कर से प्राप्त आगम के बराबर शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान	181.63	151.51	30.12	67.54
47	81-4217-60-191-0101-7241— नगरीय निकायों का अधोसंरचना विकास	191.40	0.00	191.40	6.61
योग		8871.63	6660.50	2211.15	2716.19

(स्रोत: विनियोग लेखे 2018-19)

परिशिष्ट 2.11
 (संदर्भ: कंडिका-2.2.8 (ब) पृष्ठ 37)
उप-शीर्षों के अंतर्गत आधिक्य अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

संक्र.	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अनुपूरक प्रावधान की आवश्कता	किया गया अनुपूरक प्रावधान
1	01-2015-101-6262- राज्य निर्वाचन आयोग	9.03	16.82	7.79	10.60
2	06-2435-60-101-0101-8671-लघु एवं सीमान्त कृषक ऋण माफी योजना	0.00	249.86	249.86	1223.47
3	10-4406-02-111-0101-6540-चिडियाघरों का विकास व उन्नयन	0.00	0.23	0.23	12.00
4	13-2401-102-0101-8972-धान उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना	1055.00	3980.66	2925.66	3064.00
5	13-2401-110-0101-7797-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	68.50	184.24	115.74	123.30
6	14-2403-001-1468-जिला एवं संभागीय स्तर पर व्यय	25.31	28.49	3.18	11.27
7	14-2403-101-0101-2549- जिला एवं संभागीय स्तर पर व्यय	156.02	166.91	10.89	42.00
8	14-2403-102-1108-गहन पशु विकास परियोजना	33.33	42.25	8.92	20.40
9	17-4425-108-0101-7678- सहकारी संस्थाओं के लिए अंशपूँजी	5.00	7.02	2.02	5.00
10	19-2210-03-103-0101-7330-मितानिन कल्याण निधि	101.57	109.43	7.86	66.81
11	24-5054-03-337-0520-8716-केन्द्रीय सड़क निधि	200.00	280.45	80.45	122.54
12	26-2205-102-5753-समारोह हेतु अनुदान	0.00	12.81	12.81	19.00
13	27-2202-01-101-0101-3491-माध्यमिक शालायें (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)	486.74	728.46	241.72	265.05
14	27-2202-01-101-0101-4396-सरकारी प्राथमिक शालाएं	362.38	710.27	347.89	361.79
15	27-2202-02-109-0101-578-उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	422.87	669.82	246.94	259.07
16	29-2015-103-3307-मतदाता सूचियों की छपाई एवं तैयारी	29.06	35.59	6.53	11.55
17	29-2015-106-4006-राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन के प्रभार	112.00	134.37	22.37	53.23
18	30-4515-102-0701-7759-श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन	22.00	25.92	3.92	25.00
19	32-2220-01-001-2320-निर्देशन और प्रशासन	95.04	100.13	5.10	27.46
20	32-2220-60-106-1479-जिला प्रचार एवं मोबाइल यूनिट की स्थापना	32.78	33.20	0.42	21.53
21	32-2220-60-106-5376-इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रचार प्रसार	60.00	62.37	2.37	11.00
22	33-2202-01-101-2772-प्राथमिक शालाएं	567.39	1056.04	488.66	515.56
23	33-2202-02-109-3492- माध्यमिक विद्यालय	888.82	1135.66	246.84	292.00
24	33-2202-02-109-583-उच्चतर माध्यमिक शालाएं	337.49	557.19	219.70	252.65
25	41-2202-01-101-0102-3491-माध्यमिक शालाएं	369.11	505.71	136.60	153.98
26	41-2202-01-101-0102-4396- सरकारी प्राथमिक शालाएं	272.97	540.81	267.84	337.18
27	41-2202-02-109-0102-5216-हाई स्कूल	100.89	182.72	81.83	91.97
28	41-2202-02-109-0102-578-उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	305.26	478.95	173.70	182.00
29	41-2202-02-109-0102-761-कन्या शिक्षा परिसर	6.51	7.05	0.55	2.97
30	41-2235-02-102-0102-6908-कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को मानदेय	34.20	59.14	24.94	43.87
31	41-2401-102-0102-7931-चना उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना	0.00	26.65	26.65	45.60
32	41-2401-102-0102-8972-चना उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना	799.90	2629.04	1829.14	1892.00
33	41-2401-110-0102-7797- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	51.18	124.29	73.11	85.00
34	41-2403-101-0702-5620-पशुरोग नियंत्रण	0.00	0.74	0.74	2.80
35	41-4515-102-0702-7759-श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन	19.00	28.61	9.61	19.00
36	47-2230-02-001-0801-9147-रोजगार कार्यालय	0.54	0.65	0.11	4.16
37	55-2235-02-102-0101-6908-कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को मानदेय	45.01	65.16	20.15	35.10

संक्र.	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अनुपूरक प्रावधान की आवश्कता	किया गया अनुपूरक प्रावधान
38	64-2202-01-101-0103-4396—सरकारी प्राथमिक शालाएं	85.84	116.87	31.04	33.12
39	64-2202-02-109-0103-578— उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	94.50	183.22	88.73	89.86
40	64-2216-03-105-0703-7807— प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	282.50	411.92	129.43	152.30
41	64-2225-01-102-0603-7626— विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाओं से स्थानीय विकास कार्यक्रम	25.00	27.38	2.38	22.00
42	64-2235-02-102-0103-6908— कार्यकर्ताओं एवं सहायकों को मानदेय	10.81	16.97	6.16	8.77
43	64-2401-102-0103-8972— धान उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना	252.60	760.34	507.74	528.00
44	64-2401-110-0103-7797— प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	16.32	39.57	23.25	25.00
45	64-2403-102-0703-7621— नेशनल लाइवस्टॉक मिशन	2.50	4.10	1.60	2.99
46	80-2235-60-198-0101-7921— मुख्यमंत्री पेंशन योजना	0.00	67.46	67.46	164.42
47	80-2515-198-1101-8214— सचिवालय प्रबंधन	98.00	195.88	97.88	100.00
48	81-2235-60-191-0101-7921— मुख्यमंत्री पेंशन योजना	0.00	1.03	1.03	17.80
49	81-2235-60-192-0101-7921— मुख्यमंत्री पेंशन योजना	0.00	0.63	0.63	8.90
50	81-2235-60-193-0101-7921— मुख्यमंत्री पेंशन योजना	0.00	1.17	1.17	8.88
योग		7942.97	16804.25	8861.34	10873.95

(स्रोत: विनियोग लेखे 2018-19)

परिशिष्ट 2.12
 (संदर्भ: कंडिका—2.2.8 (स) पृष्ठ 38)
उप—शीर्षों के अंतर्गत अपर्याप्त अनुपूरक अनुदान

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अनुपूरक प्रावधान की आवश्यकता	किया गया अनुपूरक प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान में कमी
1	03—2055—109—121—केन्द्रीय पुलिस बल तैनाती	2.43	3.50	1.07	0.00	1.07
2	10—2406—01—001—3555—मुख्यालय	22.93	26.20	3.27	0.28	2.99
3	13—2401—102—0101—7931—चना उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना	0.00	74.55	74.55	60.00	14.55
4	19—2210—03—197—0101—5998—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	121.44	125.25	3.81	0.00	3.81
5	19—2210—03—198—0101—620—उप स्वास्थ्य केन्द्र	66.83	81.71	14.88	0.05	14.83
6	50—2053—093—2987—20 सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन	1.62	2.71	1.09	0.05	1.04
7	67—4202—03—102—0101—5226—मूलभूत सुविधाओं का विकास—स्टेडियम आदि.	28.52	49.19	20.67	1.00	19.67
8	76—5054—03—337—1202—5626—छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट, फेज—3	0.00	1.59	1.59	0.00	1.59
9	79—4210—01—110—0101—7719—सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायपुर	13.00	15.49	2.49	0.00	2.49
योग		256.77	380.19	123.42	61.38	62.04

(चोते: विनियोग लेखे 2018—19)

परिशिष्ट 2.13
 (संदर्भ: कंडिका—2.2.9: पृष्ठ 38)
अत्याधिक / अनावश्यक / अपर्याप्त निधियों का पुर्णविनियोजन
 (जहाँ आधिक्य / बचत ₹10 करोड़ या अधिक हो)

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	पुर्णविनियो जन	व्यय	अंतिम आधिक्य(+) / बचत(-)
1	03—2055—104—4492—सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)	1205.35	−50.41	1140.90	−14.04
2	03—2055—109—4491— सामान्य व्यय (जिला स्थापना)	2072.27	−256.41	1797.77	−18.09
3	06—2071—01—101—2413— निवृत वेतन भोगियों को देय	3400.00	−300.36	2969.24	−130.40
4	08—2029—103—1472— जिला खर्च	298.57	−58.58	250.90	10.90
5	08—5054—05—337—0510—7860— अधोसंरचना एवं पर्यावरण निधि	125.00	−70.44	81.66	27.09
6	10—2406—01—101—0101—2965— बिगड़े वनों का सुधार बांस वनों सहित	47.37	−11.32	25.23	−10.83
7	10—2406—01—101—3877— क्षेत्रीय वन मण्डल	388.61	−17.35	355.30	−15.97
8	19—2210—01—196—0101—1473— जिला चिकित्सालय	206.98	−37.53	151.72	−17.73
9	19—2210—03—197—0101—5998— सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	121.44	−16.63	125.25	20.44
10	19—2210—03—198—0101—2777— प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	271.96	−49.04	243.14	20.22
11	19—2210—03—198—0101—620— उप स्वास्थ्य केन्द्र	66.88	−4.25	81.71	19.09
12	19—2211—101—0701—621— उप स्वास्थ्य केन्द्र	138.00	−60.86	96.80	19.65
13	30—2515—102—0101—4855— प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	38.40	−7.88	46.93	16.41
14	39—2408—01—102—0701—7801— मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना	12.50	−0.03	0.00	−12.47
15	41—2202—01—109—0702—8979— एकीकृत अम्बेला योजना	213.20	−128.94	110.24	25.99
16	41—2210—03—197—0102—5998— सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	64.55	−9.77	86.94	32.16
17	41—2210—03—198—0102—2777— प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	89.54	−7.73	98.29	16.48
18	41—2210—03—198—0102—620— उप स्वास्थ्य केन्द्र	34.55	−1.11	60.89	27.46
19	41—2211—101—0702—621—उप स्वास्थ्य केन्द्र	116.70	−26.60	101.35	11.25
20	41—2225—02—102—0602—7626— विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाओं से स्थानीय विकास कार्यक्रम	80.00	−29.26	1.41	−49.34
21	41—5054—04—337—0312—7475— मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना	60.80	−20.14	27.58	−13.08
22	47—2203—001—0101—7745— मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना	60.00	−20.86	29.14	−10.00
योग		9112.67	−1185.50	7882.39	−44.81

(ज्ञात: विनियोग लेखे 2018–19)

परिशिष्ट 2.14

(संदर्भ: कंडिका—2.2.10: पृष्ठ 38)
वास्तविक बचत से अधिक सर्वपण

(₹ करोड़ में)

संक्र.	अनुदान संख्या	विवरण	बचत	अधिक्य	सर्वपण	अधिक्य राशि का सर्वपण
अ—राजस्व दत्तमत						
1	06	वित्त विभाग	942.30	0.00	1051.19	108.89
2	07	वाणिज्यिक कर विभाग	99.53	0.00	105.59	6.06
3	08	भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन	389.98	0.00	397.09	7.11
4	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	491.13	0.00	565.15	74.02
5	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	135.06	0.00	138.71	3.65
6	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	104.09	0.00	104.63	0.54
7	24	लोक निर्माण कार्य—सङ्केत और पुल	802.96	0.00	803.89	0.93
8	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	1592.95	0.00	1613.05	20.10
9	33	आदिम जाति कल्याण	179.34	0.00	179.99	0.65
10	44	उच्च शिक्षा	103.89	0.00	105.15	1.26
11	55	महिला एवं बाल कल्याण	499.51	0.00	500.24	0.73
12	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	152.90	0.00	167.00	14.10
योग—अ			5493.64	0.00	5731.68	238.04
ब—पूँजीगत दत्तमत						
13	08	भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन	253.03	0.00	279.60	26.57
14	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	35.48	0.00	37.31	1.83
15	24	लोक निर्माण कार्य—सङ्केत और पुल	475.60	0.00	491.69	16.09
16	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	101.47	0.00	103.90	2.43
17	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य—सङ्केत और पुल	265.56	0.00	272.07	6.51
18	46	विज्ञान और टेक्नालॉजी	1.87	0.00	2.77	0.90
19	67	लोक निर्माण कार्य—भवन	361.18	0.00	362.37	1.19
योग — ब			1494.19	0.00	1549.71	55.52
योग अ+ब			6987.83	0.00	7281.39	293.56

(स्रोत: विनियोग लेखे 2018–19)

परिशिष्ट 2.15

(संदर्भ: कंडिका-2.2.11, पृष्ठ 38)

बचत (₹ एक करोड़ से अधिक) घटित हुई परन्तु राशि सम्प्रण का हिस्सा नहीं है

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	मांग संख्या	विवरण	कुल प्रावधान	व्यय	बचत
अ— राजस्व दत्तमत					
1	31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग	39.30	27.14	12.16
2	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग	2273.69	1945.16	328.53
		योग— अ	2312.99	1972.30	340.69
ब—पूँजीगत दत्तमत					
3	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग	7.35	0.51	6.84
4	60	जिला परियोजनाओं	52.00	50.97	1.03
		योग— ब	59.35	51.48	7.87
स — राजस्व भारित					
5	CH1	ब्याज भुगतान और ऋण की सर्विसिंग	4304.56	3728.95	575.61
6	12	ऊर्जा विभाग	229.00	223.00	6.00
		योग— स	4533.56	3951.95	581.61
द— पूँजीगत भारित					
7	CH2	सार्वजनिक ऋण	2063.37	1145.89	917.48
		योग— द	2063.37	1145.89	917.48
		महायोग (अ+ब+स+द)	8969.27	7121.63	1847.65

(ज्ञात: विनियोग लेखे 2018–19)

परिशिष्ट 2.16

(संदर्भ: कंडिका—2.2.11, पृष्ठ 38)

एक करोड़ एवं उससे अधिक का बचत को सम्प्रण नहीं किये गये

(₹ करोड़ में)
राशि जो समर्पण नहीं हुई

स. क्र.	मांग संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल प्रावधान	बचत	समर्पण	राशि जो समर्पण नहीं हुई
अ— राजस्व दत्तमत						
1	01	सामान्य प्रशासन	231.77	42.53	41.07	1.46
2	02	सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय	29.32	12.26	7.76	4.50
3	03	पुलिस	4317.44	616.89	582.78	34.12
4	04	गृह विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय	56.06	25.11	11.73	13.38
5	10	वन	1041.73	314.55	259.79	54.76
6	15	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	607.04	395.16	393.04	2.12
7	18	श्रम	194.44	77.17	48.90	28.26
8	28	राज्य विधान मंडल	61.90	22.85	0.65	22.20
9	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	16967.58	3907.94	3660.00	247.94
10	47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	371.95	145.16	135.35	9.81
11	56	ग्रामोद्योग	105.79	24.74	13.73	11.01
12	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	5511.30	1271.74	1219.20	52.54
13	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बंधित व्यय	618.29	183.13	119.59	63.54
14	80	त्रि—स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	4200.48	1875.43	1743.72	131.71
	82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रि—स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1913.65	1079.58	1077.61	1.96
योग—अ			36228.74	9994.24	9314.92	679.31
ब — पूंजीगत दत्तमत						
16	01	सामान्य प्रशासन	115.80	26.30	0.61	25.69
17	10	वन	29.32	21.69	19.93	1.76
18	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	3265.76	1267.64	1235.03	32.56
19	51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	3.20	1.54	0.02	1.53
20	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	1566.80	684.26	667.36	16.88
21	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बंधित व्यय	189.20	97.28	95.48	1.81
योग—ब			5170.08	2098.71	2018.43	80.23
स — राजस्व भारित						
22	10	वन	28.49	7.19	2.41	4.79
कुल योग = अ+ब+स			41427.31	12100.14	11335.76	764.33

(ज्ञात: विनियोग लेखे 2018-19)

परिशिष्ट 2.17
 (संदर्भ: कंडिका-2.2.12, पृष्ठ 38)
वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय की अतिवेग

(₹ करोड़ में)

संक्र.	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का वर्णन	कुल व्यय	अंतिम तिमाही का व्यय	अंतिम तिमाही का प्रतिशत व्यय
1	2015	निर्वाचन	190.14	95.82	50.39
2	2048	ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन	100.00	100.00	100.00
3	2075	विविध सामान्य सेवाएं	0.02	0.01	50.00
4	2250	अन्य सामाजिक सेवाएं	4.65	3.74	80.43
5	2401	फसल कृषि-कर्म	8839.89	4472.67	50.60
6	2425	सहकारिता	3119.17	3066.09	98.30
7	2435	अन्य कृषि कार्यक्रम	261.85	249.87	95.42
8	2853	लौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	191.28	161.82	84.60
9	3053	नागर विमानन्	0.25	0.17	68.00
10	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	7.88	5.55	70.43
11	4225	अनुसूचित जातियों, अनसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	339.50	227.79	67.10
12	4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	9.92	8.64	87.10
13	4401	फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय	2.77	2.35	84.84
14	4405	मीन उद्योग पर पूँजी परिव्यय	1.10	0.74	67.27
15	4406	वानिकी और वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय	20.45	14.44	70.61
16	4408	खाद्य भंडारण और भडांगारण पर पूँजीगत परिव्यय	0.61	0.42	68.85
17	4425	सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	4.98	5.16	103.61
18	4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	588.68	317.61	53.95
19	4801	उर्जा परियोजना पर पूँजीगत परिव्यय	230.00	170.00	73.91
20	4810	उर्जा परियोजना पर पूँजीगत परिव्यय	560.26	295.89	52.81
21	4853	लौह खनन तथा धातुकर्म उद्यागों पर पूँजीगत परिव्यय	3.92	2.59	66.07
22	5452	पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय राजस्व	13.77	12.57	91.29
योग			14491.09	9213.94	63.58

(आंकड़े: विनियोग लेखे 2018-19)

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: कंडिका 3.1; पृष्ठ 41)

बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की मुख्य शीर्ष वार स्थिति

(₹ लाख में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम	वर्ष 2016–17 तक		2017–18		2018–19	
		सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
1	2070—अन्य प्रशासनिक सेवायें	0	0.00	1	0.00*	0	0.00
2	2202—सामान्य शिक्षा	1	0.71	0	0.00	10	607.82
3	2203—तकनीकी शिक्षा	0	0.00	12	5,406.99	0	0.00
4	2216—आवास	1	0.19	2	11,958.05	17	1,92,797.10
5	2217—शहरी प्रशासन	0	0.00	138	1,19,943.09	89	96,623.89
6	2230—श्रम एवं रोजगार	0	0.00	0	0.00	2	152.00
7	2235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	0	0.00	1	2.00	0	0.00
8	2245—प्राकृतिक आपदा से राहत	0	0.00	8	80.39	5	52.83
9	2250—अन्य सामाजिक सेवायें	0	0.00	1	600.00	0	0.00
10	2401—फसल पैदावार/ कृषि कर्म	0	0.00	3	432.43	2	160.74
11	2402—मृदा एवं जल संरक्षण	0	0.00	0	0.00	1	436.00
12	2403—पशु पालन	0	0.00	4	169.34	0	0.00
13	2415—कृषि, शोध एवं शिक्षा	0	0.00	1	3125.00	0	0.00
14	2501—ग्रन्थीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	0	0.00	1	972.32	0	0.00
15	2505—ग्रन्थीण रोजगार	0	0.00	3	8500.00	0	0.00
16	2702—लघु सिंचाई	0	0.00	0	0.00	1	1.17
17	2810—नवीन एवं नवींकरणीय ऊर्जा	0	0.00	0	0.00	2	500.00
18	2851—ग्राम एवं लघु उद्योग	0	0.00	0	0.00	11	908.62
19	3275—अन्य संचार सेवाएँ	0	0.00	9	2,582.90	11	3,759.82
20	3604—स्थानीय निकायों से क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन	43	6,698.08	37	75,539.61	60	85,240.98
योग		45	6,698.98	221	2,29,312.16	211	3,81,240.98

* ₹2,100.00

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ: कंडिका 3.2; पृष्ठ 42)

जनवरी 2020 तक की लंबित वि.आ. देयकों का वितरण

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष	विभाग का नाम	वर्ष	लंबित विस्तृत आकास्मिक देयक	राशि
2029	भू-राजस्व	2017–18	1	1.38
2045	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	2017–18	1	0.18
2202	सामान्य शिक्षा	2017–18	1	0.62
		2018–19	1	5.00
2230	श्रम एवं रोजगार	2017–18	6	0.53
		2018–19	7	0.64
2235	समाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2017–18	16	21.03
		2018–19	76	87.45
2245	प्राकृतिक आपदा से राहत	2018–19	5	1.43
2401	फसल पैदावार/कृषि कर्म	2018–19	9	10.46
2403	पशु पालन	2018–19	2	0.58
2405	मत्स्य पालन	2018–19	15	48.00
2406	वनिकी एवं वन्यजीव	2018–19	1	0.71
2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2018–19	1	0.29
2701	मध्यम सिंचाई	2017–18	1	0.04
2851	ग्राम एवं लघु उद्योग	2017–18	2	73.13
		2018–19	23	167.31
2852	उद्योग	2017–18	1	0.25
		2018–19	9	318.55
योग			178	737.58

परिशिष्ट -3.3

(संदर्भ: कंडिका 3.4; पृष्ठ 44)

31 दिसम्बर 2019 तक राज्य शासन के द्वारा बकाया लेखे वाले साक्षे. उपक्रमों में निवेश

क्रं. स.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का नाम	प्रदत्त पूँजी	वर्ष जिसमें लेखे पूर्ण हुए	लंबित लेखे की अवधि	वर्ष के दौरान बकाया लेखे में राज्य शासन द्वारा अनुदान तथा प्रतिभूतियां (रुपयोग में)			
					पूँजीगत अनुदान	अन्य	प्रतिभूति	योग
1	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड	0.50	2017–18	2018–19	—	85.91	—	85.91
2	छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम	5.00	2017–18	2018–19	—	0.40	36.00	36.40
3	बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.10	2017–18	2018–19	53.20	2.80	—	56.00
4	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	2263.10	2017–18	2018–19	230.00	2078.77	2955.00	5263.77
5	छत्तीसगढ़ ग्रामीण गृह निर्माण निगम लिमिटेड	0.10	नया / 15.03.2018	2018–19	-	-	3427.28	3427.28
6	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	4.43	2017–18	2018–19	—	2902.46	—	2902.46
7	छत्तीसगढ़ सडक विकास निगम लिमिटेड	4.90	2017–18	2018–19	646.57	—	—	646.57
8	छत्तीसगढ़ राज्य अद्योसंरचना विकास निगम लिमिटेड	4.20	2015–16	2016–17 से 2017–18	—	15.50	—	15.50
				2018–19	—	10.48	—	10.48
9	छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग विकास निगम लिमिटेड	1.60	2014–15	2015–16 से 2017–18	244.30	56.37	—	300.67
				2018–19	38.85	5.99	—	44.84
				योग	1,212.92	5,158.68	6,418.28	12,789.88

परिशिष्ट -3.4

(संदर्भ: कंडिका 3.5; पृष्ठ 45)

चोरी, गबन एवं शासकीय सम्पत्ति/सामग्री के कमी के कारण शासन को हानियों के प्रकरणों
के संदर्भ में विभागवार/श्रेणीवार विवरण

(₹ लाख में)

संक्र.	विभाग/ईकाई का नाम	चोरी के प्रकरण		गबन प्रकरण		सरकारी भंडार/सामग्री की हानि		योग	
		प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरण संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	उच्च शिक्षा	12	10.42	2	0.62	3	2.51	17	13.55
2	कला एवं संस्कृति	1	0.81	0	0.00	1	0.00	2	0.81
3	जिला प्रशासन	1	0.68	5	0.80	1	3.00	7	4.48
4	लेखा एवं कोषालय प्रशासन	3	0.19	1	7.26	3	11.81	7	19.26
5	तकनीकि शिक्षा	6	2.31	0	0.00	7	50.30	13	52.61
6	ग्रामीण विकास	4	1.07	3	0.19	13	16.67	20	17.93
7	भारत—तिब्बत सीमा पुलिस बल	0	0.00	0	0.00	2	1.06	2	1.06
8	महिला एवं बाल कल्याण	1	3.50	0	0.00	2	0.31	3	3.81
9	स्कूल शिक्षा	21	12.93	19	156.25	19	67.10	59	236.28
10	पुलिस	35	6.56	5	19.45	158	15.75	198	41.76
11	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4	0.29	2	0.31	7	0.85	13	1.45
12	भू-राजस्व (तहसील विभाग)	2	0.50	11	1.87	2	0.18	15	2.55
13	पशुपालन	8	1.80	1	0.10	162	13.18	171	15.08
14	सहकारिता	0	0.00	1	96.26	0	0.00	1	96.26
15	पंचायत एवं समाज कल्याण	0	0.00	0	0.00	2	1.00	2	1.00
16	डेयरी विकास	1	0.20	1	0.02	0	0.00	2	0.22
17	ग्राम एवं लघु उद्योग (रेशम पालन) विभाग	0	0.00	0	0.00	1	0.00	1	0.00
18	विधि एवं विधायी विभाग	5	0.28	2	8.82	0	0.00	7	9.10
19	श्रम एवं रोजगार	9	3.00	0	0.00	3	0.63	12	3.63
20	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	0	0.00	1	0.07	3	0.15	4	0.22
21	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	3	1.14	4	20.48	8	1.23	15	22.85
22	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवायें	6	1.11	10	35.05	4	9.91	20	46.07
23	फसल पैदावार/कृषिकर्म	1	0.24	1	2.98	6	0.57	8	3.79
24	वन	2	5.71	0	0.00	953	939.00	955	944.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	लोक निर्माण विभाग	2	0.24	0	0.00	475	10,264. 47	477	10,264.71
26	जल संसाधन विभाग	7	1.24	0	0.00	16	550.18	23	551.42
27	वित्त एवं सांख्यिकी निवेशालय	1	0.05	0	0.00	0	0.00	1	0.05
28	कलेक्ट्रेट	0	0.00	1	0.07	1	0.30	2	0.37
29	सफाई एवं जल अपूर्ति विभाग	0	0.00	1	189.90	0	0.00	1	189.90
30	खनन एवं धातुकर्म विभाग	0	0.00	0	0.00	1	0.00	1	0.00
31	ग्रामीण अभियान्त्रिक सेवा	0	0.00	0	0.00	2	4.41	2	4.41
योग		135	54.27	71	540.50	1,855	11,954.57	2,061	12,549.34

परिशिष्ट -3.5

(संदर्भ: कंडिका 3.5; पृष्ठ 45)

31 मार्च 2019 की स्थिति में अंतिम कार्यवाही हेतु लंबित प्रकरण

(₹ लाख में)

संक्र.	विभाग का नाम	प्रकरण संख्या एवं राशि						
		पाँच वर्ष तक	05 से 10 वर्ष तक	10 से 15 वर्ष तक	15 से 20 वर्ष तक	20 से 25 वर्ष तक	25 वर्ष से ऊपर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उच्च शिक्षा	5 (1.80)	3 (6.47)	4 (4.43)	2 (0.24)	—	3 (0.61)	17 (13.55)
2	कला एवं संस्कृति	1 (0.00)	—	—	—	—	1 (0.81)	2 (0.81)
3	जिला प्रशासन	—	—	3 (1.08)	1 (0.16)	—	3 (3.24)	7 (4.48)
4	लेखा एवं कोषालय प्रशासन	—	—	3 (7.33)	—	1 (11.77)	3 (0.16)	7 (19.26)
5	तकनीकि शिक्षा	1 (0.15)	5 (47.19)	6 (5.02)	—	—	1 (0.25)	13 (52.61)
6	ग्रामीण विकास	1 (0.17)	1 (0.50)	1 (0.25)	4 (1.65)	3 (12.47)	10 (2.89)	20 (17.93)
7	भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल	2 (1.06)	—	—	—	—	—	2 (1.06)
8	महिला एवं बाल विकास	—	—	—	—	2 (3.50)	1 (0.31)	3 (3.81)
9	स्कूल शिक्षा	8 (136.95)	2 (44.31)	7 (12.15)	3 (17.76)	1 (0.00)	38 (25.11)	59 (236.28)
10	पुलिस	102 (2.52)	59 (9.65)	22 (1.45)	7 (11.21)	6 (14.58)	2 (2.35)	198 (41.76)
11	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	13 (1.45)	13 (1.45)
12	भु-राजस्व	—	—	3 (0.98)	—	—	12 (1.57)	15 (2.55)
13	पशु चिकित्सा सेवा	45 (3.60)	63 (5.95)	56 (3.00)	2 (1.84)	—	5 (0.69)	171 (15.08)
14	सहकारिता	—	—	—	—	1 (96.26)	—	1 (96.26)
15	पंचायत एवं समाज कल्याण	1 (1.00)	—	1 (0.00)	—	—	—	2 (1.00)
16	डेयरी विकास	—	—	—	1 (0.20)	—	1 (0.02)	2 (0.22)
17	ग्राम एवं लघु उद्योग (रेशम पालन)	1 (0.00)	—	—	—	—	—	1 (0.00)
18	विधि एवं विधायी विभाग	2 (0.17)	2 (0.00)	2 (1.14)	1 (7.79)	—	—	7 (9.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

19	श्रम एवं रोजगार	—	2 (0.50)	3 (2.19)	2 (0.52)	1 (0.05)	4 (0.37)	12 (3.63)
20	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	—	—	1 (0.09)	—	—	3 (0.13)	4 (0.22)
21	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	1 (0.17)	1 (0.00)	1 (19.58)	—	3 (0.48)	9 (2.62)	15 (22.85)
22	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवायें	1 (0.00)	1 (9.85)	1 (0.05)	5 (32.38)	1 (0.64)	11 (3.15)	20 (46.07)
23	फसल पैदावार / कृषिकर्म	1 (0.02)	3 (0.16)	3 (0.63)	1 (2.98)	—	—	8 (3.79)
24	वन	50 (66.03)	30 (62.06)	87 (143.08)	149 (180.94)	208 (341.83)	431 (150.77)	955 (944.71)
25	लोक निर्माण विभाग	51 (3,940.39)	327 (5,749.72)	99 (574.60)	—	—	—	477 (10,264.71)
26	जल संसाधन विभाग	10 (358.96)	7 (65.46)	6 (127.00)	—	—	—	23 (551.42)
27	वित्त एवं सांस्थिकी निदेशालय	—	1 (0.05)	—	—	—	—	1 (0.05)
28	क्लेक्ट्रोट	—	—	—	—	—	2 (0.37)	2 (0.37)
29	सफाई एवं जल आपूर्ति विभाग	—	—	—	—	—	1 (189.90)	1 (189.90)
30	खनन एवं धातुकर्म विभाग	1 (0.00)	—	—	—	—	—	1 (0.00)
31	ग्रमीण अभियान्त्रिकी सेवा	1 (4.00)	—	0 (0.41)	1 (0.00)	—	—	2 (4.41)
	कुल योग	285 (4,516.99)	507 (6,001.87)	309 (904.47)	179 (257.66)	227 (481.58)	554 (386.77)	2,061 (12,549.34)

परिशिष्ट -3.6

(संदर्भ: कंडिका 3.5: पृष्ठ 45)

विभिन्न विभागों के हानि प्रकरणों में वसूली का विवरण

(राशि ₹ में)

स. क्र.	प्र. क्र.	मुख्य शीर्ष	विभागों के नाम	हानि का प्रकार	वर्ष	हानि राशि	वसूली राशि
1	510	2406	वन	हानि	2002–03	10,600	10,600
2	50	2406	वन	हानि	2014–15	81,875	81,875
3	56	2406	वन	हानि	2017–18	4,160	4,160
4	464	2406	वन	हानि	2002–03	49,664	49,664
5	60	2406	वन	हानि	1989–90	5,184	4,985
6	61	2406	वन	हानि	1993–94	23,340	23,340
7	62	2406	वन	हानि	1998–99	52,533	52,533
8	63	2406	वन	हानि	1991–92	5,309	5,309
9	65	2406	वन	हानि	1991–92	16,540	16,540
10	64	2406	वन	हानि	2017–18	56,757	56,757
11	67	2051	पी.एस.सी.	हानि	2005–06	3,16,000	3,16,000
12	66	2059	पी.डब्लू.डी	हानि	2012–13	3,540	3,540
13	53	2055	पुलिस	हानि	2011–12	817	817
14	54	2055	पुलिस	हानि	2017–18	1,518	1,518
15	58	2055	पुलिस	हानि	2017–18	9,879	9,879
16	59	2055	पुलिस	हानि	2017–18	5,745	5,745
योग						6,43,461	6,43,262

परिशिष्ट -3.7

(संदर्भ: कंडिका 3.6: पृष्ठ 46)

मार्च 2019 के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों में हस्तांतरित राशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	प्रशासक	मुख्य शीर्ष	राशि
1	अधीक्षक—केन्द्रीय कारागार, बिलासपुर	2056	0.31
2	संयुक्त निदेशक, पंचायत कल्याण, बिलासपुर	2235	0.08
3	कलेक्टर, भू अभिलेख, धमतरी	2029	0.08
4	उपजिला निर्वाचन अधिकारी, धमतरी	2015	0.03
योग			0.50

परिशिष्ट -3.8

(संदर्भ: कंडिका 3.6.2: पृष्ठ 46)

व्यक्तिगत जमा खातें में भूमि अधिग्रहण से संबंधित राशि

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	कोषालय का नाम	भूमि अधिग्रहण से संबंधित राशि
1	बिलासपुर	365.13
2	रायगढ़	336.87
3	रायपुर	259.89
4	कोरबा	135.71
5	जाँजगीर-चांम्पा	133.77
6	जगदलपुर	69.63
7	अबिंकापुर	63.38
8	बलरामपुर	59.61
9	महासमुद्र	47.73
10	राजनांदगाँव	39.11
11	गरियाबंद	36.80
12	जशपुर	13.50
13	धमतरी	12.41
14	कांकेर	12.28
15	मुंगेली	8.09
16	कोणडागाँव	7.52
17	कबीरधाम	7.42
18	दतेवाड़ा	6.44
19	बलौदाबाजार	5.30
20	दुर्ग	5.16
21	सुरजपुर	4.80
22	कोरिया	4.21
23	बेमेतरा	2.48
24	बीजापुर	0.18
योग		1,637.42

परिशिष्ट -3.9
 (संदर्भ: कंडिका 3.7, पृष्ठ 47)
पूँजीगत के अंतर्गत बजट राजस्व प्रकृति के व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	नमावली	प्रयोग्य शीर्ष	नामावली	राशि
1	4059	लोक निर्माण पर पूँजीगत लागत	45	पूँजीगत सम्पत्ति सृजन हेतु अनुदान	9.39
2	4202	शिक्षा, स्वास्थ्य, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत लागत	45		1.39
3	4215	जलपूर्ति व स्वच्छता पर पूँजीगत लागत	45		24.02
4	4217	शहरी विकास पर पूँजीगत लागत	45		227.70
5	4225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण पर पूँजीगत लागत	45		219.93
6	4403	पशुपालन पर पूँजीगत लागत	45		5.00
7	4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत लागत	45		498.16
8	4801	विद्युत परियोजना पर पूँजीगत लागत	45		230.00
9	4810	नव एवं अक्षय उर्जा पर पूँजीगत लागत	45		560.26
10	5275	अन्य संचार सेवाओं पर पूँजीगत लागत	45		208.00
11	5425	अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूँजीगत लागत	45		2.12
12	5452	पर्यटन पर पूँजीगत लागत	45		12.77
13	4700	वृहद सिंचाई पर पूँजीगत लागत	04	कार्यालय व्यय	0.36
14	4701	मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत लागत	04		0.43
15	4853	अलौह खनन एवं धातुकर्म पूँजीगत लागत	04	व्यवसायिक सेवा	0.06
16	4700	वृहद सिंचाई पर पूँजीगत लागत	10		0.61
17	4853	अलौह खनन एवं धातुकर्म पर पूँजीगत लागत	10		3.34
18	4235	समाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत लागत	24	अनुरक्षण कार्य	0.21
योग					2,003.75

परिशिष्ट -3.10

(संदर्भ: कंडिका 3.9, पृष्ठ 49)

वर्ष 2018–19 के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्ति का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत वर्ष 2018–19 के मध्य कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत कुल प्राप्तियाँ का प्रतिशत
1	0029	भू-राजस्व	487.57	93.22	19.12
2	0039	राज्य उत्पाद	4,489.02	979.34	21.82
3	0043	विद्युत पर कर एवं शुल्क	1,790.27	239.29	13.37
4	0051	लोक सेवा आयोग	8.58	2.18	25.41
5	0055	पुलिस	29.18	23.44	80.33
6	0056	वारागार	5.78	2.46	42.56
7	0058	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	2.84	2.14	75.35
8	0059	लोक निर्माण	73.57	75.56	102.70*
9	0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	42.10	23.30	55.34
10	0071	पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ पर योगदान एवं प्राप्तियाँ	23.23	7.49	32.24
11	0202	सामान्य शिक्षा	14.04	2.82	20.09
12	0210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	52.86	6.77	12.81
13	0211	परिवार कल्याण	0.07	0.07	100.00
14	0217	शहरी विकास	30.31	30.32	100.03*
15	0220	सूचना एवं प्रचार	0.33	0.33	100.00
16	0230	श्रम एवं रोजगार	26.75	10.86	40.60
17	0235	समाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	5.70	5.70	100.00
18	0401	फसल पैदावार / कृषिकर्म	25.83	16.90	65.43
19	0403	पशुपालन	6.11	2.43	39.77
20	0405	मत्स्य पालन	5.45	2.11	38.72
21	0406	वानिकी एवं वन्य जीव	236.73	92.35	39.01
22	0408	खाद्य सुरक्षा एवं भंडारण	0.63	0.65	103.17*
23	0435	अन्य कृषि कार्यक्रम	1.28	1.23	96.09
24	0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	4.30	1.41	32.79
25	0701	मध्यम सिंचाई	11.32	2.20	19.43
26	0702	लघु सिंचाई	164.06	164.06	100.00
27	0852	उद्योग	5.31	5.32	100.19*
28	0853	अलौह खनन एवं धातुकर्म	6,110.24	883.44	14.46
29	1053	नागरिक उद्ययन	0.17	0.17	100.00
योग		13,653.63	2,677.56		

- मुख्य शीर्ष 0059,0217,0480 एवं 0852 के अंतर्गत प्राप्तियों कुल प्राप्तियों से ज्यादा इन मुख्य शीर्षों में राजस्व वापसी के कारण दिख रही है। इन मुख्य शीर्षों में राजस्व वापसी कमश: ₹3.70 करोड़, ₹0.02 करोड़, ₹0.01 करोड एवं ₹0.01 करोड थी।

परिशिष्ट -3.11

(संदर्भ: कंडिका 3.9: पृष्ठ 49)

वर्ष 2018–19 में लघु शीर्ष “800” के अंतर्गत अन्य व्यय के तहत आरक्षित विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल व्यय	लघु शीर्ष 800—अन्य व्ययों के अंतर्गत कुल व्यय	लघु शीर्ष 800—अन्य व्ययों के अंतर्गत कुल व्यय का प्रतिशत
1	2029	भू—राजस्व	282.87	100.00	35.35
2	2245	प्राकृतिक विपदाओं से राहत	322.21	89.41	27.75
3	2250	अन्य सामाजिक सेवायें	4.65	0.84	18.06
4	2810	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	26.25	11.81	44.99
5	2853	अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	191.26	37.09	19.39
6	3275	अन्य संचार सेवायें	50.15	50.15	100.00
7	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत लागत	7.88	7.88	100.00
8	4406	वानिकी और वन्य जीव पर पूँजीगत लागत	20.54	3.33	16.21
9	4408	खाद्य सुरक्षा एवं भंडारण पर पूँजीगत लागत	0.62	0.12	19.35
10	4700	वृहद सिंचाई पर पूँजीगत लागत	635.56	501.07	78.84
11	4701	मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत लागत	65.25	48.71	74.65
12	4801	विद्युत परियोजना पर पूँजीगत लागत	130.00	100.00	76.92
13	5055	सड़क यातायात पर पूँजीगत लागत	3.09	3.09	100.00
योग			1,740.33	953.50	

परिशिष्ट –3.12
 (संदर्भ: कंडिका 3.10.2:पृष्ठ 50)
 अस्थाई अग्रिम का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग / कार्यालय का नाम	वित्तीय वर्ष	प्रकरणों की संख्या	अग्रिम राशि आहरण
1	पुलिस अधीक्षक, बलरामपुर	2013–15	3	10.23
2	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बिल्हा	2013–14	1	2.00
3	आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग	2016–19	30	82.82
4	उप निदेशक, पशु चिकित्सा सेवा, दुर्ग	2012–18	89	29.86
5	संयुक्त निदेशक, पशु चिकित्सा सेवा, बिलासपुर	2013–19	369	83.94
6	ए.सी.टी.डी., बिलासपुर	1971–07	96	2.55
7	निदेशक, आयुष, रायपुर	2009–16	10	41.68
8	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अस्पिकापुर	1986–12	95	8.53
9	बी.ई.ओ बगीचा जशपुर	2017–18	3	1.77
10	बी.ई.ओ, दुर्गकोंदल, कांकेर	2011–12	2	0.25
11	डी.ई.ओ, कबीरधाम	2017–18	32	30.68
12	बी.ई.ओ, सुकमा	2008–18	22	24.52
13	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जगदलपुर	2012–17	73	658.00
14	डी.ई.ओ, कोडागाँव	2016–18	25	19.42
15	डीन, पंडित जे.एन.एम चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर	2006–07 से 2016–17	3	403.00
16	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोरबा	2011–18	27	57.29
17	पी.ओ, आइ.सी.डी.एस, रायपुर	2013–18	16	12.37
18	बी.ई.ओ बिल्हा, बिलासपुर	2015–18	22	6.05
19	डी.ई.ओ, महासमुंद	2016–19	7	0.75
20	पी.ओ, आइ.सी.डी.एस, तिल्दा, रायपुर	2015–18	20	7.99
21	ए.सी.टी.डी., बलोदाबाजार	2017–18	12	97.50
22	ए.सी.टी.डी., कोरबा	2014–19	51	34.13
योग				1,008 1,615.33